

[Shri S. D. Sharma]

for the year '1974' it is proposed to substitute '1975'.

These are mere formal amendments and I hope the House will agree to these.

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That the following amendments made by the Lok Sabha in the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Amendment Bill, 1974, be taken into consideration, namely;

Enacting Formula

1. That at page 1, line 1, for 'Twenty-fifth', substitute 'Twenty-sixth'.

2. That at page 1, line 4, for '1974' substitute '1975'."

The question was proposed.

SHRI S. D. SHARMA: Sir, I move that the amendments made by the Lok Sabha be agreed to.

The question was put and the motion was adopted.

THE AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1975

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act 1963, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I rise to move the Bill seeking to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, to enable the Agricultural Refinance Corporation to step up its promotional activities and to play a developmental role in a more effective manner in future.

The proposed amendments would remove the inadequacies in the Act for enabling the Corporation to play the role envisaged for the ARC in the agricultural development of the country during the Fifth Plan and after.

As the House is aware, the Agricultural Refinance Corporation was established under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 to augment the resources available for the provision of medium-term and long-term finance for agriculture. The Reserve Bank of India, State Co-operative Banks, Central Land Development Banks, scheduled commercial banks, the Life Insurance Corporation of India are the shareholders.

Of these, the State Co-operative Banks, Central Land Development Banks and scheduled commercial banks are the institutions eligible for refinance facilities from the Corporation.

The Corporation raises its funds by way of share capital from its members, loans from the Central Government, borrowings from the open market by issue of bonds, loans from the Reserve Bank of India's National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and temporary borrowings from the Reserve Bank of India.

Besides the considerable expansion in the business operations of the Corporation during the Fourth Plan period, certain other important changes in its working have also taken place during this period. In the initial years, while it provided assistance covering mainly schemes on land development and minor irrigation, a deliberate attempt was made in these years to diversify its activities by providing assistance for schemes covering hitherto unconventional fields of agricultural activities like dairies, fisheries, ware-housing etc.

In these years, the Corporation also undertook an active promotional and developmental role which helped in development of areas which lagged behind for certain historical reasons, by setting up of two Tech-

nical Consultancy Service Centres at Lucknow and Calcutta to assist the State Governments to identify and formulate agricultural development schemes eligible for refinance from the Corporation. This role would need to be further emphasised and reflected in the Agricultural Refinance Corporation Act.

The working Group on Agricultural Credit for the Fifth Plan has envisaged a large lending programme of over Rs. 600 crores for the Agricultural Refinance Corporation. This programme has been envisaged with the expectation that the Corporation would penetrate into such areas which have hitherto remained largely unexploited and provide finance for diversified types of schemes. The International Development Association has since sanctioned a direct line of credit for the Agricultural Refinance Corporation during the Fifth Plan to the tune of \$ 75 million.

The National Commission on Agriculture, in its Interim Report on "Production Forestry—Man made forests", referred to the need for setting up Forest Corporations by the State Governments and suggested that the Agricultural Refinance Corporation should come forward to advance long-term loans directly to them. The existing law does not provide for direct lending to such Corporations/bodies.

In this context, it has become necessary to further amend the ARC Act, 1963.

The proposed amendments could be broadly classified under three categories: financial, administrative and routine.

With a view to highlighting the developmental role of the activities of the Corporation, the names of the Act and the Corporation are proposed to be "The Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963" and the "Agricultural Refinance and Development Corporation".

Keeping in view the recommendations of the National Commission on Agriculture,

in their interim report on 'Production Forestry—Man made forests', for setting up forestry Corporations and also meeting requirements of Command Area Development Authorities etc., it is proposed to enlarge the scope of definition of "eligible institutions" by adding a new sub-clause to section 2(f) of the ARC Act, 1963, permitting such institutions to directly borrow from the ARC.

In view of the growing business operations of the Corporation and to meet the increased need for funds during the Fifth Plan period, the Corporation is required to create additional resources by augmenting its own funds which in turn would also help mobilisation of funds. For this the authorised capital would need to be increased. As against the limit of Rs. 25 crores provided in the existing provision, the Corporation has already raised share capital to the extent of Rs. 20 crores. It is, therefore, proposed to amend Section 5 of the Act and fix a limit of authorised capital at Rs. 100 crores.

At present, there is no provision for accepting grants, gifts, donations or benefactions by the Corporation. It is proposed to amend Section 20 of the Act to allow the Corporation to receive sums from Central/State Governments etc. by way of loans converted into grants, subsidies for concessional rate of interest, grants for specific purposes etc. The amendment is proposed to be made on the analogy of similar provisions in the Industrial Development Bank of India Act and the Unit Trust of India Act.

Under the existing provisions, the ARC is primarily a refining agency for meeting the long-term credit needs of eligible institutions. Through the proposed amendment in the provisions contained in Section 22(5), it is now sought to permit the Corporation to provide working capital loans also in special cases. It is, however, proposed to be done on a selective basis in respect of composite schemes where working capital loans are to be given in conjunction with

[Shri Pranab Mukherjee]

long-term loans. The intention is to cover cases where the Corporation has to provide funds for purchase of inventories which will ultimately form part of capital investment envisaged under such schemes.

There are other miscellaneous amendments intended to rationalise or clarify the existing provisions in the Act.

I would like to point out, before I conclude, that it is necessary to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963, along the lines suggested, to facilitate the expansion of business of the Corporation giving it more the character of a developmental and promotional bank, to remove certain inadequacies in the existing legislation so as to make it up-to-date with recent developments in the co-operative and commercial banking sectors, and to provide for certain delegation of powers for more expeditious disposal of loan proposals.

Sir, I move.

The question was proposed.

SHRI D. D. PURI (Haryana) : Mr. Chairman, Sir, on the face of it, this seems to be an extremely innocuous Bill, raising the authorised capital of the Agricultural Refinance Corporation from 25 crores to 100 crores, Sir, this gives an opportunity of examining in its broad perspective the requirements of Indian agriculture and of the agricultural policy of the Government in general.

It is interesting to note that the Finance Minister made a statement the other day that inflation in this country had been brought to zero. That is a phenomenon, which he claimed, as having been achieved in no other place in the world. Now, let us examine it in some depth. It is interesting to note that the price of the principal consumers raw material of the country, that is coal, has gone up and it is going up. What was the price of the iron and steel last year and what it is today ? It has gone up and it is going up. The price of

oil, the price of electric power, the price of fertilizer, railway freight and, Sir, the rate of interest which is increasingly becoming an item in the cost of production, all these have gone up. Also an indirect measure has been introduced by levying a tax on the money advanced, which is not a tax on the advancing banks but it has been passed on to the borrower, including advances against agricultural commodities. It is a tax on the foodgrains without calling it so. So, Sir, all these things have gone up and all these things continue to go up. We claim, as no one else in the world has claimed, that inflation rate has come down to zero and, in fact, the process of deflation has started.

Now, Sir, what is this magic wand by which the Finance Minister has been able to make the statement ? I maintain with all emphasis at my command that all this has been brought about by introducing deflation in the agricultural sector. You press the agriculturist very hard, you increase every item of the inputs and cost and you bring down the price of the finished product so that in the end, when you make the calculation, in spite of the increase in the cost of coal, in spite of the increase in the cost of every one of the conceivable items, your net result is that the rate of inflation is zero.

Sir, I will analyse it very briefly as I do not want to make a long speech at this stage on this limited Bill. First of all, there are two aspects of agricultural economy : adequacy of finances and the pricing policy. In regard to adequacy of finance, have we ever made an estimate as to what is the total amount of money required even to support the prices for which we have declared a support price. I need not go into the details. The growers of cotton all over the country know what happened to the so-called support price of cotton. The Finance Minister has come to this House again and again and said : "Yes, the requirements are very big but I have to control inflation. I cannot find money to be able to buy cotton at a price which is the support price." Against an admitted require-

ment of over Rs. 900 crores, Rs. 10 crores were made available to support cotton prices. So, when the grower prepares his field and puts the seed in it in respect of the commodity in which Government have declared a support price, at the end of the day the Government says: "Sorry, we have to control inflation and we cannot find money even to support the support price."

We cannot find money to procure, even to support the support price. Now, some of us grow potatoes. I do not want to dilate upon what has happened to the growers of potatoes this year. Even in the case of food crops and foodgrains the areas in the most productive parts of the country, namely, Punjab and Haryana, are undergoing shrinkage. Why is it undergoing shrinkage? It is because the price of every single item of input that goes into the production of foodgrains and of every agricultural commodity, be it fertiliser, be it the tractor, be it oil or be the agricultural implements, is going up. The price of steel is going up. Will the Minister be able to mention one single item which is an input of agriculture and whose price has not gone up? And yet the prices of foodgrains are either at last year's level or lower. Therefore, what I am saying is that, instead of tinkering with this problem by raising the authorised capital from a certain figure to Rs. 100 crores, let the Minister come out with a statement giving the total requirements of agricultural finance. That is No. 1. No. 2, let him at least be able to support the prices in respect of which the Government has given its word saying that it will support the prices. What is the total amount of money that is required and what part of that will be met by the authorised capital? It is not the subscribed capital or issued capital or the paid-up capital. It is just authorising the Government, under certain circumstances, whenever they find it convenient, so to do, to reach the limit of Rs. 100 crores. Let an estimate be there. Either we should not announce a support price, or if we do so, we should keep our word. We should make an estimate of the total amount of money that is required and then in the

name of inflation we should not say that we cannot find the money for it and also say that there is too much currency in circulation. Therefore, the limited point I am making is that the entire approach of controlling inflation has not only been to throttle the agricultural economy that is the agriculturist, but also to go on increasing the prices of everything that goes into agriculture and then bring the answer to the problem as zero. The more the rise in the price of steel and other things the more is the rise in the price of agricultural inputs. Therefore, all that I am saying is that agriculture is not receiving either in the matter of credit or in the matter of pricing its due share in the economy of the country and all these claims are being made at the cost of the agriculturist. I would say that we had a lot of debate in this House about the procurement policy, Government monopoly, intermediaries, State monopoly, the Food Corporation of India and this, that and the other. I have often talked about this matter to some progressive agriculturists. They say it is really ideological acrobatics. The grower is not concerned with it whether you have monopoly procurement by the Government or through intermediaries or through co-operative bank or this, that and the other. All that the agriculturist wants is that he should get a reasonable price, that he should get an economic price for what he produces and he should get credit at the appropriate time, be it short-term or long-term. When he requires credit for the production of agricultural commodities he should get it. I do not need to go into details because we were discussing yesterday the Banking Service Commission Bill and so on. It is true that banks are opening branches in the agricultural areas, but the staff that go there do not know about the agricultural requirements, even what agricultural commodities look like. All that they look into, as my friend, Shri Ranbir Singh, said is what is the period of time, when they give the money and when the money will be repaid, whether it is six months or less. There are a couple of things to which he is accustomed, viz., cash/credit accounts of industries. Even

[Shri D. D. Puri]

about the produce lying in the godowns when they give the money, they may not know. They are concerned with when the money is to be paid back. Agriculture requires credit both for inputs and servicing and the amount that is required, I believe, is absolutely different and neither the banking system nor even the thinking of the Government of India is attuned to meeting it. All that I say is there is no substitute for an economic price for agricultural commodities. Give a square deal to the agriculturist of this country and he will assure a square meal to every resident of this country.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, इस विधेयक में दो, तीन बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन उद्देश्यों से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि वे तीनो अंग जो हमारी भावना इस निगम को स्थापित करने की थी उस को आगे बढ़ा सकेंगे। जहाँ तक इस के नाम में परिवर्तन किया गया है, अब तक इस का नाम कृषि पुनर्वित्त निगम था और अब उस का नाम कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम किया जा रहा है, तो इस में 'और विकास' शब्द बढ़ा देने से यह परिलक्षित अवश्य होता होगा कि इन निगम का कार्य केवल कृषकों के लिये या उन की जो मान्य संस्थाएँ हैं, जो उन को ऋण देती हैं, जो उन के लिये साधन उपलब्ध कराती हैं, उन के अतिरिक्त दूसरे वे कार्य जो कि परंपरागत नहीं हैं और जो विकास से संबंध रखते हैं उन के लिये भी इस निगम के धन का उपयोग किया जा सकता है और उन के लिये भी यह निगम को धन दे सकता है। इस की कल्पना इस में की गयी है।

जहाँ तक प्रशासनिक परिवर्तन करने का मवाल है यह तो इस निगम में होता रहेगा, लेकिन जो एक और अच्छी चीज इस में की गयी है वह यह है कि कुछ ऐसे नये कारपोरेशन्स भी बन सकते हैं कि जो सरकारी बैंक हैं या दूसरी तरह के कारपोरेशन्स जैसे लैंड डेवलपमेंट बैंक है या दूसरे बैंक हैं जो इस निगम से ऋण ले सकते थे उस के

अतिरिक्त भी अन्य दूसरी संस्थाएँ भी केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती हैं और उन्हें भी यह निगम ऋण दे सकेगा चाहे उन का नाम अब तक ऋण लेने वाली संस्थाओं में था या नहीं था। लेकिन इसमें मुझे एक शंका हाँती है कि इस में केवल उन संस्थाओं का नाम आता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की मिफारिश पर इस निमित्त अनुमोदित की जाये। अगर कोई प्रदेशीय सरकार अपने प्रदेश की विशेष परिस्थितियों के कारण इस तरह की कोई संस्था स्थापित करे या जो उस प्रदेश में किसी विशेष प्रकार के कृषि उद्योग को प्रोत्साहन दे, बढ़ावा दे और उन के लिये किसानों की सहायता करे अथवा साधन उपलब्ध करे तो ऐसी संस्था को भी अगर रिजर्व बैंक की मिफारिश पर मजूरी मिले तो मैं समझता हूँ कि उन संस्थाओं को भी इस के लिये अनुमोदित माना जाय और उन संस्थाओं को भी ऋण देने की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि जो पूँजी है उस को बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है वह तो ठीक है, लेकिन यह भी इस निगम के माध्यम से देखा जाना चाहिए कि जो प्रदेश में अब तक सहकारी बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं या जो दूसरे बैंक हैं जो किसानों की मदद करते हैं उन की क्या स्थिति है और उन बैंकों के द्वारा कितनी सहायता किसानों की होती है। इस बात का भी इस निगम के माध्यम से अध्ययन समय-समय पर होता रहना चाहिए। क्योंकि मान्यवर, आज मैं देखता हूँ कि जो लैंड मार्गेज बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक है उन का कर्जा किसानों पर बहुत अधिक बकाया पड़ा हुआ है। अधिकतर किसान जो कर्जा लेते हैं वे अपनी कृषि में जो उत्पादन करते हैं उस से इतना मुनाफा नहीं कर पाते कि जिस से समय पर उन कर्जों को अदा कर पायें और आज अगर देखा जाय तो हमारे उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में तो कई समाचार पत्र ऐसे हैं कि जिन में कोई दिन भी ऐसा न होगा जिस में आधा पृष्ठ और कभी-कभी पूरा पृष्ठ केवल किसानों की भूमि की नीलामी के लिये विज्ञापनों से भरा न रहता हो, लैंड डेवलपमेंट

बैंक की तरफ से । तो ऐसा लगता है कि जो निम्न श्रेणी के किसान हैं, मार्जिनल फार्मर या जो कुछ अधिक जमीन वाले हैं उन की जमीन धीरे-धीरे लैंड मार्गेंज बैंक के ऋण के अंतर्गत रहन होती चली जा रही है । रुपया समय पर नहीं आता रहा है, अतः भूमि बराबर नीलाम पर चढ़नी जा रही है । यह बहुत भयानक संकट है, इसका निराकरण भी होना चाहिए । जब आप ऋण देते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक को और वह रुपया किसानों को देता है तो सरकार यह भी देखे कि जैसे किसान ट्रैक्टर या मशीनरी के लिए लोन लेते हैं, दूसरे उपकरणों के लिए ऋण लेते हैं तो उनके दाम डूँढे हो गये और जो उत्पादन हो रहा है उसका जो बिक्री मूल्य है उसमें उसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है और अगर किसी वर्ष किसी चीज की फसल अच्छी हो गयी और उत्पादन अधिक हो गया तो बाजार में भाव एकदम गिर जाता है । आपने उदाहरण आलू का दिया । हमारे प्रदेश में आलू से किसानों को एकदम घाटा हुआ हालांकि अब आलू के दाम बढ़ने शुरू हो गये । लेकिन फसल के वक्त पर जो कोल्ड स्टोरेज थे उनमें कैपसिटी नहीं रही । दो तीन साल पहले कोल्ड स्टोरेज बनाने शुरू किये गये, कुछ बने कुछ नहीं बने । जो बने उनका नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं हुआ । जो रेट कोल्ड स्टोरेज में थे वह पहले मनमाने थे, फिर हमारे प्रदेश की सरकार ने आर्डिनंस जारी करके उन पर कंट्रोल किया । कोल्ड स्टोरेज वाले हाई कॉर्ट में चले गये और वह रद्द हो गया । किसी न किसी प्रकार से कोल्ड स्टोरेज में स्थान नहीं रह गया और जितना आलू हुआ वह उनमें रखा नहीं जा सका । कुछ रेल वैगनों की, ट्रामपोर्ट की दिक्कत हुई और वह आलू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सका । इसलिए, चूँकि गर्मी बहुत थी, इसलिए वह आलू बरबाद हो गया । उन किसानों ने, सारे किसानों ने कर्जा ले रखा है, खाद के नाम पर, बीज के नाम पर, पानी का भी बकाया है । इसके अलावा ट्रैक्टर और दूसरी चीजें, जैसे कीटनाशक और मशीन वगैरह के नाम पर उन्होंने कर्जा ले रखा है । तो फिर इन किसानों को न जो कर्जा अदायगी में सरकार किम कार मदद कर सकती है ? यही नहीं कि आप उनको

साधन बीजिए, बल्कि सरकार यह भी देखे कि जो उत्पादन हो उसका उसको उचित मूल्य मिले । अगर बाजार में वह सामान बिक्री नहीं होता है तो सरकार उसको खरीदने और एक लॉग टर्म पॉलिसी, लम्बी योजना के तहत इस प्रकार से व्यवस्था हो कि सरकार उसको खरीदकर रख सके ।

वेयर हाउसिंग के लिए भी सरकार ने कहा कि हम रुपया देते हैं । लेकिन वेयर हाउसिंग कितने बने ? अगर बन गये तो कुछ समय, तीन महीने चार महीने तक उनमें रखने की व्यवस्था तो हो पाती । व्यापारी लॉग पहले, जब सरकारी वेयर हाउसेज नहीं थे तो, अपने वेयर हाउसेज बनाते थे और मारा गल्ला या इम तरह की चीजें अपने गोदामों में भर सकते थे । उनके ऊपर भी सरकार ने नियंत्रण किया, उसने भी व्यवस्था से व्यवधान डाला कि उनको वेयर हाउसेज उपलब्ध नहीं हो सके । अगर सरकार नहीं बना सकती थी तो प्राइवेट वेयर हाउसेज के ऊपर कब्जा करके उनमें रख देती । आलू, अनाज और दूसरी चीजें, थी, उनके लिए कुछ स्थान उपलब्ध हो जाता और बच जाता । इनसे भी बड़ा भारी बोझ किसानों के ऊपर पड़ रहा है । आज कोआपरेटिव का रुपया गांव-गांव में पड़ा हुआ है । कोआपरेटिव के नाम पर जिम सोसायटी का रुपया बकाया रह गया समय पर अदा नहीं हुआ तो अगले साल उसको मिलना ही नहीं । किसान को वह सोसायटी रुपया नहीं देती । कर्ज पर लिया रुपया वह दे नहीं सकता तो वह खेती में कुछ लगा नहीं सकता बल्कि जो उनके पास दूसरी सम्पत्ति होती है वह भी दूसरे प्रकार से बिकने लगती है । इस तरफ भी मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार खाम तौर पर ध्यान दे । जब आप इस निगम के जरिये इन बैंकों को रुपया देते हैं और रिजर्व बैंक कहता है इन बैंकों से कि वसूली दिखाइये, बैंक वसूली कर नहीं पा रहे हैं । दूसरी तरफ कोआपरेटिव बैंक्स के ऊपर खर्च बढ़ते जा रहे हैं, जो कर्मचारी रखे जायेंगे उनका केन्द्रीयकरण होता जा रहा है, ऋण जो दिया जाएगा उसकी उगाही होगी नहीं तो उसमें किस प्रकार से किसानों की म्हायता होगी, इस और कोई प्रयास

[श्री श्याम लाल यादव]

नहीं है। वलिक बैंको के जो प्रदेशीय स्तर के बैंक होंगे उनको ही यह काम छोड़ दिया जा रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी किसानों को ट्रैक्टर वगैरह के लिये कर्जा देने हैं। तरह-तरह की एजेंसियां जो कर्जा दे रही हैं उनकी वसूली की इस तरह से व्यवस्था हो कि किसानों पर बोझ न पड़े और जो बकाया पड़ा है उसकी अदायगी के लिये समय का कुछ बढ़ाव होना चाहिये, फैलाव होना चाहिये, कुछ मोका मिलना चाहिये। दूसरे, उनकी फसल को भी देखना चाहिये कि कैसा मूल्य दे रही है उसके हिसाब से कई वर्षों में उसकी अदायगी होनी चाहिये। उनकी भूमि से जो मिचाई होती है उसकी गति भी धीमी पड़ गई है इस वजह से भी वे कर्जा देने में हिचकिचाते हैं। आपको इस गति को तेज करना होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जो कई तरह के बैंक्स गांव में कर्जा देने हैं उनमें ओवरलैपिंग भी हो रही है। सरकार से कहना चाहता हू कि जो सहकारी बैंक जिले के हैं, लैंड डेवलपिंग बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक है और भी कई तरह की एजेंसियां गांवों में फैल रही हैं उनमें कम से कम एक समान व्यवस्था होनी चाहिये। अगर एक प्रदेश स्तर पर नहीं हो सके तो कम से कम जिला स्तर पर एक ही बैंक का प्रसारण और विस्तार हो ताकि किसानों को मालूम हो कि यह बैंक हमारी मारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें दूसरे-तीसरे बैंक के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है और यह बैंक भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे तभी उनको लाभ मिल सकता है। ये बैंक किसानों को उपकरणों के खरीदने में और दूसरे साधनों को मंजूर करने में मदद करे इसी तरह से अगर ये बैंक किसानों की फसल की बिक्री में भी मदद कर सकेंगे तो शायद किसानों का अधिक लाभ हो सकेगा।

किसानों को उपकरण तो आप दीजिये लेकिन इसके साथ-साथ सबसे बड़ी आवश्यकता मिचाई की है। इसका आपको प्रबंध करना होगा। इनके लिये मैं समझता हूँ यह जो वित्त आयोग बनाया है और जो हमारे प्रदेशों के बैंक्स हैं वे मिचाई के लिये

छोटे-मोट ऋण देते हैं। मेरा कहना है कि जहां नहरों से मिचाई की व्यवस्था नहीं है वहां गांवों के लिये सामूहिक ट्यूबवैल, नलकप बनाने की आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था करना भी इस बैंक का कार्य होना चाहिये। ये बैंक निश्चित रूपया राज्य सरकारों को दें अथवा किसी दूसरे निगम को दें जो मिचाई के साधन उपलब्ध करा सके। मेरा यह निवेदन भी है कि कुछ बनाने का काम भी बैंकों के अधिकार में हो सकता है और कुछों पर पम्पिंग मैट्स का काम भी वे कर सकते हैं। क्योंकि इनने बड़े कुओं में ट्यूबवैल लगाने का काम गांव वाले नहीं कर सकते। अगर कहीं कोआपरेटिव सोसाइटी है भी तो वह भी इस काम को नहीं कर सकती आपनी झगड़ों के कारण और दूसरे प्राथिक संकटों के कारण। वे उसको राफलता-पूर्वक नहीं चला सकते। इसके लिये मैं यह आवश्यक समझता हूँ और सरकार भी यह महसूस करती है जैसा कि मंत्री महोदय ने जिक्र किया कि मिचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये इस निगम के जो संसाधन हैं उनका उपयोग किया जाएगा। इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि मिचाई के लिये जो कुएं बनते हैं, जिन क्षेत्रों में नलकूप ज्यादा स्थापित हो जाते हैं वहां के पानी की सतह नीची चनी जाती है और किसानों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे और कुछ खुदा कर सकें जिसमें वे पम्पिंग मैट्स लगवा कर पानी निकलवा सकें अगर राजकीय नलकूप होंगे तो वे ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। आप नहरें निकलवा कर भी उनकी मदद कर सकते हैं। नहरों को निकालने के लिये दो तरह के साधन हैं। एक तो वह है जो निरन्तर प्रवाहित होती रहती है जैसे हमारे प्रदेश में शारदा कानाल है जो निरन्तर प्रवाहित होती रहती है और दूसरी प्रकार के साधन हैं जो बांध बनाये गये हैं जहां बरसाती पानी पर मुन्तमिर रहना पड़ता है। पिछले दो वर्षों में हमारे इलाके में पानी बरसा नहीं लिहाजा नहरों में पानी आ नहीं पाया। बरसात अच्छी होगी तो नहरों में पानी आया और बरसात अच्छी नहीं होगी तो किसानों के खेतों में भी पानी नहीं पहुँचेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको

इनके लिये सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। एक तो यह कि ऐसी नहरों को व्यापक बनाने की आवश्यकता है जिससे निरन्तर पानी प्रवाहित हो सके। इसके लिये अधिक धन जुटाने की आवश्यकता है। यह धन निगम से लगवाया जाए अथवा रिजर्व बैंक से या प्रदेश सरकारों से परन्तु उससे करवाया जाए जो इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से या सोसाइटी के जरिये नहीं किया जा सकता। जब इसके लिये साधन बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो मैं समझता हूँ इसमें रुपया भी बहुत लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसानों के लिये दूसरे साधन भी उपलब्ध न हों, अकेले पानी ही पानी मिल जाए तो भी उनकी फसल ड्योढ़ी हों सकती है। तो उनकी फसल ड्योढ़ी हो जाएगी, चाहे खाद और दूसरे साधनों की पूर्ति न हो सके लेकिन अगर पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधाएँ मिलगी तो पैदावार बढ़ाई जा सकती है और किसानों को सम्पन्न किया जा सकता है।

इस संबंध में मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग इन बैंकों में कम-चारियों के रूप में लिये जाते हैं, खाम तोर से कृषि पुनर्वित्त निगम में, वे अधिकतर शहरों के लोग होते हैं। मैंने कल भी इस संबंध में निवेदन किया था कि इन समस्याओं में, खासतौर से किसानों से संबंधित समस्याओं में किसानों के लड़कों को रखा जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि किसानों के लड़के ही उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। शहरों के लोग तो अपने ऐश-आराम के साधन जुटाने में ही लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि बैंकों के अन्दर माफ-मुथरे कमरों में बैठें और उन कमरों के अन्दर कालीन बिछी हुई हो। उन्हें हम बात की परवाह नहीं होती कि किसान को किस स्थिति में काम करना पड़ता है और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वे लोग तो कागजों पर आदेश प्रसारित करते रहते हैं और कोई भी धन किसान के पास जब पहुँचता है तो उसको इतना समय लग जाता है कि उससे किसान को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि किसानों

में संबंधित सरथानों, निगमों, कारपोरेशनों और बैंकों में गांवों के लोगों को ही रखा जाय ताकि वे लोग किसानों की दिक्कतों को अच्छी प्रकार समझ सकें और किसानों के विकास में अधिक सहयोग दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा जिस कृषि पुनर्वित्त निगम की व्यवस्था कर रहे हैं और जो उसका उद्देश्य घोषित किया गया है उसकी पूर्ति हेतु ऐसा प्रयास करेंगे जिससे किसानों को अधिक लाभ पहुँच सके। किसानों को जो ऋण मिलता है उनकी बसूलों के संबंध में उन्हें तबाह न किया जाय। उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायें और उनकी जो फसल हांती है उसका उन्हें ऐसा मूल्य मिले जिससे उनको लाभ हो ताकि वे अपने लाभ में सरकारा कर्ज को भी अदा कर सकें और उत्पादन भी बढ़ा सकें। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बिल में जो उद्देश्य घोषित किये हैं उनकी पूर्ति के लिए वह शीघ्र ऐसी व्यवस्था करे जिससे किसानों को लाभ पहुँच सके।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा): सभापति जी, मैं कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा अभी माननीय सदस्य श्री पुरी जी ने कहा कि यह एक मात्रारण-मा विधेयक है और जैसा कि मंत्री जी ने भी बताया कि कुछ तो इसका संबंध नाम की तबदीली के मिनमिने में है और कुछ इसका पूँजी की उस राशि से है जिसमें वह 25 करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की बात कही गई है। सभापति जी, पूँजी का अगर हिसाब देखा जाय तो पता चलेगा कि रिजर्व बैंक जब बनाया गया था तो पाँच करोड़ की पूँजी से शुरू किया गया था। आज रिजर्व बैंक हमारे देश के सब बैंकों का बैंक बन गया है। जब पाँच करोड़ की पूँजी से शुरू करके रिजर्व बैंक इतना बड़ा बैंक बन सकता है तो कोई कारण नहीं है यह पुनर्वित्त निगम भी दिन प्रति दिन तरक्की करता चला जाए। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के पीछे यह भावना है कि खेती के काम के लिए पूँजी बढ़ाने की

[श्री रणवीर सिंह]

आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस बिल के संबंध में विचार करते समय हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे देश में किसान की क्या स्थिति है और वह कहाँ तक पहुँचा है और मैं यह मानता हूँ कि इन बातों का जिक्र इसमें आना जरूरी है। पांचमाला योजना की जो किताब छपी है उसके अन्दर कृषि की जरूरत का भी जिक्र है और कहा गया है कि उसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी, लेकिन इन तीन हजार करोड़ रुपये के अन्दर उस कर्ज का जिक्र नहीं किया गया जिसकी निगम को जरूरत होगी। यह एक माँचने वाली बात है।

सभापति जी, यादव जी ने जो सरकारी ट्यूब वेल हैं उनके बारे में जिक्र किया। इस बारे में तो मैं उनसे ज्यादा महमन नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मुझको उनके प्रदेश का भी ज्ञान है कि कहीं कोई एक ट्यूब वेल 50 एकड़ भूमि मिचित करता है और कहीं 20 एकड़ भूमि सिंचित करता है। उतना ही पानी निकालने वाला अगर प्राइवेट ट्यूबवेल हो तो वह ढाई सौ और तीन सौ एकड़ भूमि भी मिचित करता है। सरकारी महकमें में जितनी छोटी चीज होगी उसके अंदर उतनी ही सुस्ती में काम हो सकता है लेकिन बड़े काम में वह खप जाती है, उनमें पता नहीं लगता टोटे या नफे का। बड़े काम के अन्दर वह छुप जाता है, और जैसा पुरी साहब ने बताया कि कई दफा किम कीमत पर किस को अदा किया जाता है? सभापति जी, किसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे देहातों के लिए नीति-निर्धारण करने वाले कौन भाई हैं? वे भाई हैं जो तनख्वाहदार हैं, जो वेतन लेने वाले भाई हैं और जिनको एक ही नीति का मालूम है कि अगर पहली तारीख को तनख्वाह न मिले और 5 तारीख तक मिलने वाली हो तो वे आवाज लगाकर आसमान और जमीन एक कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, उन्हें यह ज्ञान नहीं कि कृषि की हालत क्या है। कृषि मंत्रालय के अन्दर जाकर आप पूछें, कृषि के विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट्स से पूछें उनको पता है कि 5 माल के अन्दर एक साल ऐसा

आता है जिसके अन्दर हिन्दुस्तान का किसान खेती में कुछ बचा सकता है। कई भाई हैं जो कृषि के मफादों को छोटे-बड़े किसान के चक्कर में फसा करके देश के अंदर एक गलत भावना पैदा करते हैं। जहाँ तक रुपये पैसों का संबंध है, जितना छोटा किसान है उसको उतना ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है: जो रिपॉर्ट करेगा, बजाए इसके कि यह लिखे, यह बताए, कि कितना करोड़ रु० चाहिए, तो वह इस चक्कर में फसता है कि ये जो बड़े काश्तकार हैं वे इतने करोड़ रुपये लेंगे और जो छोटे काश्तकार हैं उनको इतने फीसदी मिला—और वे इतने फीसदी हैं। वे इस चक्कर में नहीं कि वे यह देखें कि मार्ग देण के लिए हमें योजना बनानी है, हिन्दुस्तान के सारे किसानों के लिए; छोटे हों, बड़े हों, सब के लिए आर्थिक मदद चाहिए। आज बड़े किसान के मानी क्या हैं? 18 एकड़ सिंचित भूमि और 54 एकड़ बारानी भूमि—यह बड़ा किसान है। और ये जो टाटा साहब हैं, कितने छोटे हैं? टाटा साहब को कितना कर्जा मिला हुआ है, उसको भी क्या कभी देखा है? वह हजारों की गिनती में नहीं है, वह करोड़ों की गिनती में है...

श्री श्याम लाल यादव अरबों की।

श्री रणवीर सिंह. अरबों की गिनती में है। बिड़ला की फर्म को कितना कर्जा मिला हुआ है? वे कहते हैं 3 फीसदी है वे जिनको बड़ा किसान मानते हैं, जैसे 3 फीसदी के मानी 3 हो। वे इस बात को भूल जाते हैं कि जिनको वे 3 फीसदी कहते हैं, अगर उनमें कहीं कोई बात हो जाए या खयाल हो जाए, तो हिन्दुस्तान के काम को बंद कर सकते हैं।

सभापति जी, मैं यह जानता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे 1974 में; चौधरी चरण सिंह के हलके में जहाँ खेती करने वाले जो 3 परसेंट की बात करते हैं उनमें बहुत सारे 90 फीसदी, 95 फीसदी एक तरह से सोचते थे।

उत्तर प्रदेश की पुलिस आई, हरियाणा की पुलिस आई और सेंट्रल रिजर्व पुलिस आई, लेकिन चुनाव

के अन्दर गरीबों की पर्ची नहीं डलवा सकी। वह ऐसा समझते हैं कि कागज में लिख दिया, कागज में पूरा कर दिया, तो वह सब तरह से पूरा हो जायेगा। उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि देश की समस्या कितनी बड़ी चीज है, हिन्दुस्तान की समस्याएँ कितनी पेचीदा हैं और उनको ज्यादा पेचीदा करने में कितना नुकसान होगा।

सभापति जी, हमारी प्रधान मंत्री जी ने देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिड़ला हैं, उन्हें ही ज्यादा रुपया अभी भी बैंकों से प्राप्त हो रहा है। जो बैंकों का मान प्रतिशत रुपया छोटे लोगों को प्राप्त होता है, उनकी संख्या 34 फीसदी है और आज भी 60 प्रतिशत रुपया इन बैंकों का बड़े-बड़े कारखाने-दारों के काम में लगा हुआ है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जिस समय हमारे देश में कपास की पैदावार कम होती है और अनाज की पैदावार कम होती है, तो उस समय हिन्दुस्तान की आँख जो है वह आममान की तरफ देखने लगती है। किसान तो हमेशा ही भगवान की तरफ देखता आया है क्योंकि उसको पैसा भी नहीं मिलता है और जो भी पैसा मिलता है, वह महंगा मिलता है। अभी बहुत से प्रदेशों में किसानों और दूसरे गरीब गांव के मजदूरों के ऊपर जो कर्जा है, उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ताकि उनका जो कर्जा बहुत समय से चला आ रहा है, माफ हो जाय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो कर्जा किसान और गांव के कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश के अन्दर आज से नहीं, 19वीं और बीसवीं सदी में नहीं बल्कि 1898 के अन्दर, जब अंग्रेजों का राज्य था, तो उस समय एक कानून बना था, जिस को लैंड एलिमिनेशन ऐक्ट कहा जाता था जिस के द्वारा कोई साहूकार या जमींदार किसान से कर्ज के लिए जमीन की कुर्की नहीं करवा सकता था। उसके बाद डेट कैसिलियेशन बोर्ड को और

भी चले गये। उसके बाद 1913 में कोआपरेटिव का महकमा बना जबकि हरियाणा और पंजाब का प्रान्त और वेस्ट पंजाब का हिस्सा सब एक साथ थे। इससे भी किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही पढ़े लिखे भाईयों ने कहा कि ये लोग एतबार के लायक नहीं हैं, किसान एतबार के लायक नहीं हैं और जो पैसा इन्हे कर्ज के रूप में दिया जायेगा वह पैसा वापस होगा या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो भी इन कोआपरेटिव बैंको द्वारा कर्ज लेते थे, अगर वे समय पर रुपया नहीं दे पाते थे, तो उन्हें डिफाल्टर करार दिया जाता था और उन लोगों के ऊपर तरह-तरह की लायबिलिटीज लाद दी जाती थीं जिसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों ने इन बैंकों से कर्जा लेना बन्द कर दिया वे लोग साहूकारों से 24 प्रतिशत ब्याज पर रुपया लेना अच्छा समझते थे क्योंकि वे जानते थे कि जब हमारे पास रुपया होगा तो चार पांच साल बाद अदा कर देंगे। अगर किसान इन बैंकों का कर्जा छ महीने के अन्दर नहीं चुकाता है तो उसको डिफाल्टर मान लिया जाता है। इस तरह से कागज में तो उनके लिए सुविधा दिखलाई जाती है मगर उन्हें फायदा कुछ नहीं होता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब वह विदेशों से कर्ज लेती है और जब वह समय पर उसको चुका नहीं पाती है तो क्या वह टाइट नहीं मांगती है और वर्ल्ड बैंक से मदद नहीं लेती है? तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कैसी सोच है? यह सोच इसलिए है कि जो हमारे खेती के कर्णधार हैं, उन्हें देश की खेती का ज्ञान नहीं है। देश के अन्दर खेती में क्या नुकसान और फायदा होता है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं है।

सभापति जी, अभी पूरी साहब ने ठीक कहा कि आज से पांच साल पहिले जो ट्रैक्टर 29 हजार रुपये को मिलता था, उसके दाम आज 1 लाख 15 हजार रुपये हो गये हैं।

सभापति जी, मेरे पास एक पत्र आया। ट्रैक्टर के लिए गुंजे टायरों की आवश्यकता थी।

[श्री रणबीर सिंह]

ट्रैक्टर के टायरों की बहुत कमी है। एक भाई ने दिल्ली से चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की प्रतिलिपि मैंने टी०ए० पै साहब को भेजी है। वह लिखता है कि दो टायर हम आपको 5 महीने में दिला सकते हैं अगर 9 हजार रुपया दो ट्रैक्टरों के लिए अदा करो और उसमें से 33 फीसदी हमारे पास जमा करो। जब आपात-कालीन स्थिति आई और 10 दिन पहले कीमतों की लिस्टें लगने लगीं तो दिल्ली के बाजार में मैंने पता किया, मेरे लड़के को उसने बताया कि उस टायर की कीमत 1572 रुपया है जिस टायर की कीमत वह 4500 रुपया मांगता है। उसका पैसा देने के लिए हम तैयार थे। दिल्ली हमारा बाजार था, लेकिन कन्ट्रोल बीच में आ गया, हमको परमिट मिले तो मिल सकता था। परमिट देने वाले अफसर से मैंने बान की। वह डिप्टी कमिश्नर मुझसे कहने लगा कि हम परमिट तो उसी को दे सकते हैं दिल्ली में जिसका डीजल का राशनकांड हो और ट्रैक्टर दिल्ली में रजिस्टर्ड हो। वह यू०पी० में था। वैस्टर्न यू०पी० के लिए दिल्ली पहले भी बाजार था। नीति-निर्धारण करने वाले तनखावाहदार है, उन्हें यह नहीं देखना है कि इसके अन्दर क्या मुश्किल है। फिर वह आदमी मेरे लड़के से कहने लगा कि मैं ब्लैक नहीं करता, अगर 1572 रुपया और 4 हजार रुपया और देने के लिए तैयार हो तो यह ट्रैक्टर का टायर आपके खेत पर अपने आप पहुँच जायगा, पैसे यहाँ दे जाओ, टायर वहाँ पहुँच जायगा। हमसे अनाज मस्ता चाहते हैं लेकिन इस देश के अन्दर जो सीट कम्पनी के टायर बनते हैं वह हमको मिल नहीं सकते। मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी का बहुत चलता सदस्य हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे टायर नहीं मिल सकता है। मैंने टी०ए० पै जी से प्रार्थना की कि मुझे टायर दिला दो नहीं तो अगली फसल के लिए बीज हम नहीं बो सकेंगे, हमारा ट्रैक्टर खड़ा हो जायगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि इन्तजाम करेंगे। बालू उनके

प्राइवेट सैक्टरों से भी बान की। उन्होंने भी कहा कि इन्तजाम करेंगे। आखिर मेरे पुत्र को बगैर टायर के जाना पड़ा। यह हमारे देश का इन्तजाम है। यह इन्तजाम इसलिए है कि हमारे नीति-निर्धारण करने वालों को खेती का ज्ञान नहीं है। यह मैंने ट्रैक्टर की बात सुनाई, ट्रैक्टर के टायर की बात सुनाई।

अभी थोड़ा सा बाजार मस्ता हुआ है। क्या है मस्ता? हमारे देश के अन्दर खाद जो 1200 रुपये टन पड़ती है वह हमको 2000 रुपये टन खरीदनी पड़ रही है क्योंकि विदेशी खाद इन्होंने मंहगी खरीद ली। विदेशी खाद को मस्ता बेचेंगे तो इनको घाटा हो जायगा। वह घाटा हमसे ही पूरा हो। बावजूद इसके कि यह देश आजाद हो गया, बावजूद इसके कि किसान को वोट का हक मिल गया, बावजूद इसके कि 75 फीसदी गाय की शक्ति किसान के पास है, लेकिन वेतन लेने वालों के लिए हाई मी करोड़ रुपया हर माल हमने सबमिडी दी है, अनाज को मस्ता खिलाने के लिए जिसको वे खाकर खाद भी नहीं बनने देते और जिसको वे पानी में बहा देते हैं रोज मवेरे। लेकिन हमको कुछ लगाने के लिए भी ऋण नहीं दिया जाता, ऋण देने का अधिकारी नहीं मानते। आज स्टेट बैंक 5 एकड़ से कम वाले प्रादमी को अधिकारी नहीं समझती कि वह कर्जा ले सकता है। एक तरफ यह कहानी कही जाती है और बड़े किसान और छोटे किसान को लड़ाने की बात कही जाती है। श्रीमन् जी, कहानी बाद में कहना। पहले उनके कान पकड़ो। वित्त मंत्रालय की बड़ी बड़ी नीतियां हैं लेकिन वित्त मंत्रालय अपने चपरासी की तनखावाह को सही नहीं कर सकता। एल आई सी के चपरासी की तनखावाह जो है उसे वह घटा नहीं सकता। कोई कामून का रोड़ा नहीं है। आज वह स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्टेट बैंक के भाई जिन को केवल नोट गिनना होता है और जिन्होंने अपनी तनखावाह सब से ज्यादा करा ली है आज उन का इलाज किया

जा सकता है, लेकिन उस के लिए कोई बिल नहीं आया। ऐसे भाई जिन्होंने बुरे हालात में अपनी ज्यादा तनख्वाह करा ली उस की आप घटा मकें ऐसी कोई योजना वित्त मंत्रालय की तरफ से नहीं रखी गयी। आज मभापनि जी, यह एक प्रदेश की नहीं, सारे प्रदेशों की बात है और यह भाई जो तनख्वाहदार है, बड़े बड़े विशेषज्ञ है, आर्थिक विज्ञान के बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि देहात के अंदर बिजली फैलाना घाटे का सौदा है। वह कहते हैं कि नहरों का पानी ऊंचा उठा कर खेतों में पहुंचाना घाटे का सौदा है। वह कभी इस को नहीं गोचने अगर आप को यहां पानी और बिजली की जरूरत है तो वह भी भारत की जनता ही है जो देहात में रहती है और उनको भी इनकी जरूरत है। और इस सब का नतीजा क्या होता है कि आज हमारे जिम्मे जितना विदेशी कर्ज है, जो लगभग सात हजार करोड़ के हैं, उनका ही अनाज बाहर से आया है। क्या हमारे देश में इनकी शक्ति नहीं थी कि इतने अनाज को हम अपने देश में पैदा कर सकते। कर सकते थे। मुझे याद है 1954 में इस देश के किसानों ने इतना गेहूं पैदा किया था कि उसको उठाने वाला कोई नहीं था। इस देश के अंदर गन्ना पैदा करने वालों ने गन्ना इतना पैदा किया कि आज उनका पैसा बकाया है सौ करोड़ रुपया और उनको पैसा नहीं मिल सकता। और उसके लिए जो कि कारखाने को देना है उस कारखाने के प्रोनोट पर किसान को बैंक कर्ज भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार मैंने पूछा श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय जी से कि जब हमारे देश में कपास की ज्यादा पैदावार हुई, कि अगर हमें देश की सारी कपास खरीदनी पड़े तो उसके लिए कितने करोड़ क्या चाहिए। उस के जवाब में श्री चट्टोपाध्याय जी ने इसी सदन में कहा था कि हम को उसके लिए एक हजार करोड़ रुपया चाहिए। और उसके लिए वित्त मंत्रालय ने कितना रुपया देने का वायदा किया? केवल दस करोड़ और दस करोड़ में भी अमल में कितना दिया? ल डेढ़ या दो करोड़। तो

यह देश के किसान के साथ खिलवाड़ नहीं, खेती के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है और इसी का नतीजा है कि यह इतना पुराना देश, जिसमें खेती दुनिया के इतिहास में सबसे पहले शुरू हुई, आज वह मंगना बना हुआ है अनाज के लिये। आज कभी हम कपास के लिए मांगने जाते हैं और कभी अनाज के लिए मांगने जाते हैं। उस का एक ही कारण है कि किसान को जितना पैसा चाहिए, वह उसको कर्ज के रूप में नहीं मिलता। एक एकड़ वाले किसान को स्टेट बैंक कर्ज देता हो तो प्रणव जी हमको बता दे। एक एकड़ जमीन के मालिक को स्टेट बैंक कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। उस का वह अधिकारी नहीं मानता, उसको वह ईमानदार नहीं मानता। और खेती में कर्ज की हालत यह है कि दादा का लिया हुआ कर्ज पोना अदा करता है और इसीलिए किसान बनिए से कर्ज लेना पसन्द करना है क्योंकि वह जानता है कि वह बनिया कभी उस के पास मांगने नहीं आयेगा जब कि कहत होगा वह बनिया कभी उसके दरवाजे पर नहीं आयेगा जब कि वह अदा नहीं कर सकता। जिस साल उसकी फसल अच्छी होगी, पांचवे साल उस साल बनिया उस के पास आयेगा कर्ज वापस लेने। तो मैंना इस विधेयक के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्रालय ने भावना दिखाई है और किसानों की मदद के लिए उन्होंने पूंजी बढ़ाई है।

किसानों की मदद के लिए यह योजना आपने बनाई कि यह रिफाइनन्स कारपोरेशन 12 NOON ही नहीं है बल्कि डेवलपमेंट कारपोरेशन भी है, डेवलपमेंट की भावना दिखाई है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसलिए मैं इस मिलसिले में दो तीन बातें और कहना चाहता हूं।

अमरीका के अन्दर जो नहर के ऊपर सरमाया लगाया जाता है उसके लिए व्याज नहीं लिया जाता है। रूस में नहीं लिया जाता है। तो हम आज कौन सी दुनिया में चल रहे हैं?

[श्री गणबीर सिंह]

इंग्लैण्ड में तो हम हैं नहीं, तो फिर कौन सी दुनिया में हैं। इसीलिए इस देश में अनाज पैदा नहीं होता। हमसे अनाज मस्ता लो, लेकिन हमको सामान भी सस्ता दो।

सभापति जी, मैं वित्त मंत्रालय की बात करता हूँ। यहां पर ट्रैक्टर पहले 29 हजार का था, अब वह 1 लाख में क्यों बिकने लगा? उसका एक कारण यह है कि पहले कस्टम ड्यूटी माफ थी, अब इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दी। ऐक्साइज ड्यूटी लगा दी और उसके अलावा कुछ महंगाई हो गई। तो नतीजा यह हुआ कि 29 हजार का 1 लाख हो गया। तो कस्टम की ड्यूटी के लिए इनका ऐलान नहीं आया। बे सैन्ट्रल ऐक्साइज ड्यूटी किस पर लेते हैं? कल ही थोड़ा सा 20 रुपया फी क्विंटल का इनको रियायत का ऐलान आया है। मैं पूछता हूँ कि जब आप सामान सस्ता करना चाहते हैं, सरकार करना चाहती है तो सरकार को पहल भी करनी चाहिए कि जो कृषि के अन्दर सामान लगता है, पहले भी सरकार के अफसरों को तनख्वाह मिलती थी जब ट्रैक्टर के ऊपर ऐक्साइज ड्यूटी नहीं थी। कस्टम ड्यूटी नहीं थी। तो आज कम से कम यही ऐलान कर दें, अभी नहीं तो सलाह करके कर दें कि 25 परसेंट से ज्यादा ऐक्साइज ड्यूटी, 25 परसेंट से ज्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। उस वक्त तो यह था कि जिसके रिश्तेदार बाहर हैं अगर वह ट्रैक्टर भेजना चाहें, फारन एक्मचेज दे दें तो वह ट्रैक्टर भेज सकते हैं। अगर विदेश का यह ट्रैक्टर आपका काबिल नहीं है और आप समझते हैं कि हमारे देश के अन्दर बन सकता है तो ट्रैक्टर जो लोग लेना चाहते हैं, मैसे-फर्गुसन ट्रैक्टर उनको नहीं मिलता है। ट्रैक्टर मिलता है तो वह जिसको बाजार में कोई पूछता नहीं है। जो ट्रैक्टर किसान को चाहिए, जो पानी की मशीन चाहिए जो खेत के लिए ओजार चाहिए वह उसको मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार ने यह जो कारपोरेशन बनाया है यह प्रदेश सरकारों को भी कर्जा दे नहीं बनाने के लिए।

हमारे प्रदेश के अन्दर जवाहरलाल नेहरू कैनल बनाई जा रही है। उम योजना पर काम शुरू है, उसके लिए 29 करोड़ रुपया चाहिए। अगर वह हमको कर्जा दे दे तो हम दो साल के अन्दर जमुना जी का वह पानी जो दिल्ली को डुबोता है, उत्तर प्रदेश को डुबोता है और आखिर में कलकत्ता को डुबोता है, उसको ढाई सौ फुट ऊंचे चढ़ाकर लहलहाती फसल पैदा करेंगे। तो उसके लिए हमको पैसा दो। उसके लिए ब्याज का चक्कर छोड़ो। ब्याज का चक्कर वाला कभी तरक्की नहीं कर सकता है। ब्याज के चक्कर से हटो। मैं कहता हूँ कि नहर के लिए जो रुपया दिया जाए उसका कोई ब्याज न हो, वह वापस न लिया जाए। अगर कोई चोरी करे तो उसको गिरफ्तार करो, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार करो, लेकिन यह रुपया जो आप लोहे के कारखाने पर लगाते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं तो उसका दबाव हमारे ऊपर क्यों डालते हैं कि हम ब्याज भी दें और पैसा भी वापस करें? यह कार्य आप करते तो विदेशी कर्जा आज 7 हजार करोड़ का हमारे नाम पर न खड़ा होता। इस देश के अन्दर अनाज पैदा होता और होगा अगर आप नीति बदलें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भावना इसमें है दो सौ करोड़ रुपया, 5 करोड़ या जो भी उसकी पूंजी है, उसकी मुझे फिक्र नहीं है, मैं तो एक ही मांग करता हूँ कि जितना इस देश के किमान को खेती की बढ़ोतरी के लिए पैसा चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटी मुदत के लिए चाहिए, चाहे मीडियम टर्म लोन चाहिए, शार्ट टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, उसको आप देने का वायदा करें। हर एक को जितना चाहिए उतना मिले। उसमें कोई गलती करे तो उसको पकड़ें, उसको गलती न करने दें। तो इस देश का वह धंधा जो आप चाहते हैं वह आपका भविष्य अच्छा बनायेगा और यह जैसे आपका हो रहा है कि विदेशों के अनाज का भाव महंगा और हमारी चीज का सस्ता, यह बहुत दिन रहने वाला नहीं

है। लोग भी अपने हिमाब से खेती करने हैं, किसान के पास भी रेडियो है, वह भी हिमाब लगाता है। वह आपकी योजना को अपनी योजना तभी समझेगा जब कि उसका फायदा हो। आप अपनी सारी योजनाओं को किसान के और खेती के हित में बनाये तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी महंगाई जो कम हो गई है सोढ़े से अगले के बाद बढ़ नहीं पाएगी।

SHRI IRENGBAM TOMPOK SINGH (Manipur) : Sir, I rise to support this Bill. This Bill is a very simple Amendment Bill which proposes some amendments to the Agricultural Refinance Corporation Act of 1963. Sir, one cannot under-estimate the importance of agricultural economy in India because nearly 70 per cent of the people in India are dependent, for their living, on agriculture and allied sectors which account for about 47 per cent of the national income. The previous hon. speakers had rightly pointed out the real importance of financing this sector from the point of view of their practical experience.

The number of persons engaged in agriculture alone, according to the 1971 census, was 12.55 crores—7.81 crores of cultivators and 4.70 crores of agricultural labourers. Therefore, the importance of agriculture is so much but in our country the proverb runs that the agriculturists are born indebted and die indebted. Therefore, the crux of the problem in the Indian economy at the moment is concerning the financing of agriculture.

Agriculture not only supplies raw materials for some of the major industries such as cotton, jute, textiles and sugar but also provides a large proportion of the country's exports. Though the words "and Development" are inserted by this amendment, the functions of the Agricultural Refinance and Development Corporation will remain the same. As we know, after passing this Bill the Agricultural Refinance Corporation will be known as the Agricultural Refinance and Development Corporation. This Corporation

was set up in 1963 for granting medium and long-term credit for the development of agriculture, animal husbandry, dairy farming, pisciculture and poultry farming. It is mainly a refinancing agency providing credit to projects financed by co-operative credit institutions and commercial banks. As we know the Indian agriculturists are born indebted, as I have already said, and it is very difficult for them to improve agriculture without proper financing institutions. The Agricultural Refinancing Corporation has been mainly financing for reclamation and preparation of land, development of special crops such as arecanut, coconut, cashewnut, cardamom, coffee, tea and rubber and development of mechanised farming, use of electricity through tube-wells and pump sets and development of animal husbandry, dairy farming, pisciculture and poultry farming.

When the Government of India is finding it so difficult to bring agriculture to the level of an industry then how much difficulty the small farmers, marginal farmers or even the big farmers must be facing in order to finance their agriculture? I hope the hon. Minister will be in a position to tell us the financial allocations made by the Corporation up to 31st March, 1975.

Up to the 31st March, 1974 ARC had sanctioned 1242 development schemes costing about Rs. 716.84 crores. The schemes regarding minor irrigation accounted for Rs. 522.05 crores, land reclamation Rs. 86.70 crores and other schemes Rs. 108.09 crores.

In this connection I would request the Minister be pleased to tell us the State-wise sanctioned amount because in agricultural sector also there is a lot of disparity being allowed to continue. For example, Punjab and Haryana because of various facilities available to them are far more advanced in agriculture. The country can be divided in three main agricultural zones, i.e. north, south and east. The facilities

Bill, 1975

[Shri Irengbam Tonipok Singh]

that are available in one zone cannot be made available to another. For example, take the eastern zone. When there is a rainfall, there is water and water everywhere. The Brahmaputra is overflooded. The water of the Brahmaputra river has not been harnessed just like the Ganga and the Jamuna. There are no irrigation facilities in this part of the country. Neither minor irrigation nor major irrigation is yet developed there. There are several problems so far as the eastern zone is concerned. Agriculture cannot be developed as is expected and thought of. Very recently, Sir, a team from Punjab headed by the Deputy Speaker of the Punjab Assembly, visited the eastern zone. While having an aerial view of Bengal and Assam side, he was astonished to see the barren fields. I had also had the chance to travel with him from Gauhati to Imphal. We discussed the agricultural problem. The members of the team informed me that the land available to them in Haryana or Punjab has been utilised to the fullest capacity, but in Assam and Bengal agricultural lands are not fully utilised.

Leaving aside that, there is another zone in the country, that is the hilly zone. Right from Ladakh to Mizoram, it is famine stricken area. Even plantation or growing of rice or cash crop is not possible, what to speak of improvements in agriculture in this area. Sir, the institution of Agricultural Refinance Corporation may not be known and heard to them, though this scheme is a laudable scheme. The ARDC will play a very important role in the country's economy as the most important financing institution for agriculturists of different categories. But, Sir, the maximum benefit should go to the small farmers, marginal farmers and those who are engaged in small farming, in fishing industry, in other agricultural trades. Proper financing from ARDC should be encouraged to the small farmers and not to the bigger farmers who are sound in their financial position. Until and unless agriculture is properly developed and financing institution is properly channelised to

reach the small farmer, it will be very very difficult to improve the Indian economy.

The other aspect that should not be forgotten is about the disguise unemployment in agriculture. This disguise unemployment in agriculture is a big problem. Take for example uneconomic holdings, small farms, marginal farms which are supposed to be looked after by a single agriculturist, are being engaged by the whole family of five to six members. He is to be given proper facilities, he is to be given loan, improved seeds and fertiliser. These facilities are not available to them at present. So when the real income is calculated it hardly comes to about 4 annas a day even in the case of an agricultural family where four persons are employed. Those who are now absorbed in agriculture may be shifted to other allied industries in the villages. So while we are thinking of improving the seeds, we are thinking of improving the agricultural loan terms, we should not ignore this aspect.

Then another aspect is that there is no question of elasticity of land. The land will remain the same. The demand will, however, go on increasing owing to increase in population. Therefore, we should always think how to have more production from a particular piece of land. Whether it is in the case of a big farm, a small farm or a marginal or uneconomic holding, it is necessary to create a favourable atmosphere for them by giving them refinancing facilities or loans, short term or long-term. Then they will be in a position to improve the position of their farms.

There is another problem in the country. That is of land mortgage in the name of land development. The real name of development should be materialised when this Bill becomes an Act. In every part of the country, agricultural indebtedness in any form is available. But that is going to be abolished, as our Prime Minister announced in her 20-point economic programme as a very important one. But

then there is indebtedness of all kinds in different parts of the country.

If agricultural operations are to be carried on on modern lines, there is need for financing. There are very poor farmers who are having very small holdings, 2.1 acres, 1.2 acres, or even less than one acre. They cannot have even two bullocks to plough their land properly. Therefore, among the farmer community, we should calculate how many farmers in the country are poor, how many are at the subsistence level, and how many are actually those who are not tillers of the soil. Only when we have proper statistical data in these aspects, refinancing or giving loans, short-term, long-term, and development of land, reclamation of land will be possible.

Take, for example, my own area. I come from Manipur State. There are some areas of land which are very fertile and we are producing rice there. There is at least a stage when we can give rice to some other States when there is good harvest. But even there the land reclamation problem is a problem in hill areas and in valley. The shifting cultivation is very harmful to the body. Therefore, in the hill areas we should see that agriculture is adopted not only as a means of livelihood but also proper agricultural facilities are given for development of horticulture, plantation of coffee, tea and such other things as are permissible by the climate or by the soil condition. Particular attention should be given to these in the hill areas. Only then the people in that zone can improve their lot.

For centuries they have been very much lagging behind compared to the plains people. Because of climatic and geographical conditions, they cannot compete with valley people in the field of agriculture. I would like to request the hon. Minister to see that so far as the Agricultural Refinance Corporation is concerned, every State of the country including those States in the far flung areas and

places at the district level, should get equal benefit. At least the agricultural societies in the far flung areas should get priority. Let there be no middle men who are not the agriculturists in their profession but who call themselves as such in order to get maximum middleman's benefit and thus exploit others. Thank you, Sir.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, while rising to support the Bill, I would like to make a plea to the hon. Minister about one thing which the other day, probably yesterday, was raised by one of the hon. Members, Mr. Sharmaji. Sir, the hon. Finance Minister is holding the away in the last two or three days over the Bills that we are getting. It looks as if they are objectless and aimless. No mention is made of the fact for which purpose the amendment has been brought to the House and what it seeks and all that. When he comes to the House, he makes an introductory speech or the opening remark and then we come to know the purpose of the Bill.

Sir, emergency, no doubt, we have. But I do not think that a sort of permission or licence can be given to the Minister or the Ministry not to observe these rules. This is contrary to the salutary practices and I think the Bill can only be presentable to the House when it contains the aims and objects. So, I would request the hon. Minister whenever he brings a Bill, let us at least know the aims and objects therefor; otherwise we just grope in the dark . . .

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Definitely, statement of objects are there very much in the Bill.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN: It shows "As passed by the Lok Sabha".

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It may be that the copy which has been circulated to the members, may not have the statement of objects but when the Bill is origi-

[Shri Pranab Mukherjee]

nally introduced, then copies are circulated to the hon. Members. It was introduced in the Lok Sabha, not in this House, but the copies were circulated to the members. Even when a Bill is introduced in the Lok Sabha, copies are circulated to the members of this House.

MR. CHAIRMAN: If the hon. member wants, he can have it even now. We have got circulated all those copies.

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West-Bengal): Unless I know that this Bill is coming, how can I know about its objects.

SHRI D. D. PURI: The trouble is, if the Bill is circulated on the day it is considered, we can go through it. Of course, by going through the Bill, one can find out the objects.

SHRI MAQSOOD ALI KHAN: Anyhow, I stand corrected if it was circulated because the other day the point was raised and I was under the impression that now-a-days Bills are coming without objects.

Sir, my predecessor, Chaudhary Ranbir Singhji dwelt at length upon the subject, the history of the agricultural independence in rural areas and then he brought it to the notice of the House how the agriculturists were indebted and how different Commissions were set up to see that this indebtedness is reduced, then the co-operative societies, how they came into the picture and to what extent they have been rendering assistance to these agriculturists. We have the co-operative societies and we have the land mortgage banks earlier which have been now termed as the land development banks. The working of these banks has always been a subject of discussion either in this House or outside this House. We will be very much enlightened if the hon. Minister tells us actually in what way these banks are playing the role which they are intended to

play. I will not say that they are not playing any role, and I know for certain that rural indebtedness has been greatly reduced by the inter-play of these banks, but one purpose for which these banks were introduced was that the Sahukars in the villages should be eliminated completely. That purpose till today has not been served. He still remains a dominant figure in the rural areas. In the rural economy, I think, his clutches are stronger today than in the past and how are we going to remove that? Shri Ranbir Singh described very rightly how the Sahukar functions. He knows the psychology of the place. He knows when to get money from them. He knows when to make a demand on them, whereas the banks, as they are governed by rules and regulations, do not have any humanistic aspect in their policies. It is only giving a certain loan and then getting it back in time when the loan becomes repayable. Unless these banks completely eliminate the Sahukars from the villages, I think the purpose for which they were set up will not be fulfilled.

Another thing that I find is—I have some experience of the rural areas—the Kisan, the farmer, when his produce is reaped, takes it to the market. For selling the produce, one farmer or the other will always be attached to certain commission agents or Arhatias as they are called in our areas. These commission agents or Arhatias become the Sahukars for these farmers. They will not only be helping the farmers in disposing of their produce, but they will also be lending money to them in advance and see that all their produce comes only to their shops and to no other shop. The Government wanted to see that the role of the Arhatias should be eliminated completely. They have regulated markets, but how many regulated markets are we having in the country? These regulated markets are there. Even then the role of the Arhatias or the commission agents has not been completely done away with. So long as these Sahukars are there in the villages and these

commission agents are there in the markets, I think that the indebtedness of the farmer cannot be reduced at all. He will have to be indebted to these persons and he will have to borrow from them because his economic condition remains the same as it has been for centuries together. Now, they want to route the money through the co-operative banks. They must try to see that the role of the middle-man is eliminated.

Another thing is this. As it was said by my predecessor rightly, I do not know whether the universities or co-operatives have taken up any sample survey of certain areas. For example, in Karnataka, irrigated areas are there. We have the wet areas and we have the dry areas. Then we have the wet-cum-dry areas. I would suggest to the hon. Minister that certain surveys will have to be made in these backward areas, both irrigated and unirrigated areas. From the survey we should know how many persons are needy and how many persons actually require the bank's assistance. How many of them could go to the bank? How many of them could get loans from the bank? If certain people could not go to the banks, what are the reasons? It is a known fact that since the days of independence, taccavi loans were given; they came to the assistance of the farmers. Big taccavi loans were given. How much of those loans went into their hands? There were middlemen and touts in all the tehsil headquarters. They used to come along with the farmers. If the farmer was given Rs. 500 or Rs. 1000, he could get only one-third or one-half of the amount and the balance goes into the hands of the touts or the middlemen. Even today there are reputed or renowned touts or middlemen who take up the cases of the villagers, in these banks. They are not getting the money that has been sanctioned by the banks. How about the banks? Are they not faction-ridden? Are they not politics-ridden? I know, there are so many such cooperative societies and co-operative banks. They are being manned

or governed by persons belonging to certain political parties. The result is that those persons who want to remain aloof from politics, those who do not want to join this group or that group they do not get any assistance. I request the Minister: a survey will have to be made in this direction. In every State a certain area will have to be chosen to see how best this assistance through the development banks and cooperative banks for long-term and short-term loans can be given to these people. The aims and objects of these banks are laudable. Nobody can question that. They have played their own role nicely. But I was only hinting at that the maximum benefit that could be given to the villagers has not flown to them. If an effort is made by the Ministry, I think the farmer will be very much benefited.

With these words, I support the Bill.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : सभापति जी, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है यह औपचारिक किस्म का बिल है, इसलिए इसमें बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। इस सदन में हम लोग इस बिल पर बात पहले भी कर चुके हैं। लेकिन पिछले 8 महीनों में जब इस बिल पर हम लोगों ने बात की थी, हमारे देश में जो बहुत सी चीजें हुईं उनकी वजह से इस बिल के विषय का क्षितिज कुछ बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, बहुत से राज्य सरकारों ने छोटे किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिये या उनको राहत देने के लिए बहुत से कदम उठाये। उदाहरण के लिए, बिहार में ऋण कानून में यह सुधार किया गया है कि 7 वर्ष तक यदि किसी कर्जदार की कोई महाजन 7 साल तक रहने की जमीन रखे हुए है तो 7 साल के बाद उसको वह जमीन लौटा देनी होगी। ग्राम गांवों में जो महाजन और बड़े-बड़े जमीन के मालिक हैं उनके बीच में तहलका मचा हुआ है। 7 साल के बाद तुम जमीन लौटा लोगे, तो हम तुमको कर्ज नहीं देंगे, ऐसा वह लोग कहने लगे हैं। उस तरह से एक एकड़ तक जमीन रखने वाले

[श्री बोयेन्द्र शर्मा]

हरिजन भाई, आदिवासी और खेत मजदूरों के ऋण के बोझ से मुक्त करने के कदम कुछ राज्यों ने उठाये। बहुत सही कदम हैं। पर इससे एक नई स्थिति पैदा हो रही है। वह उस कर्ज के बोझ से, कर्ज की गुलामी से तो मुक्त हो जायेंगे लेकिन जिस स्थिति में उनको कर्ज लेकर अपनी जिन्दगी गुजारनी पड़ती है उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नतीजा यह होगा कि उनको कर्ज लेना ही पड़ेगा और आप उनको कोई कर्ज देने वाले नहीं हैं। इसलिये हम निवेदन कर रहे थे कि कुछ नई चीजें पैदा हो गई हैं जिनको सामने रख कर ऋण की व्यवस्था में और भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इन लोगों की जो ऋण लेने की नई आवश्यकताएं हो गई हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा? और यदि कोई नहीं करता है तो जो भी ऋण से सम्बन्धित कदम उठाये गये हैं वे बेकार हो जायेंगे। हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि यह जो एग्रीकल्चर रीफाईनेंसिंग की व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई सूरत निकालेंगे जिसमें इन लोगों को ऋण देने की व्यवस्था हो? यदि इन लोगों को ऋण देने की व्यवस्था नहीं की गई तो फिर पुरानी हालत पैदा हो जाएगी। मैं बहुत ही जोर के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में आपने जो कदम उठाये हैं उनसे जो नई समस्या पैदा हुई है उस नई समस्या को हल करने के लिये गांवों में ऋण देने की नई संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए। मुझे मालूम नहीं इसमें कुछ है या नहीं। मंत्री महोदय इस सिलसिले में हम को कुछ बताएं। यदि उन्होंने अभी तक कोई नई योजना तैयार नहीं की है तो उन्हें यह योजना तैयार कर लेनी चाहिये।

द्वितीय चीज सभापति महोदय, जो आपने की है कि राज्यों या केन्द्रीय स्तर पर भी वन विकास कारपोरेशन शायद बन रही हैं। शायद उस वन विकास कारपोरेशन को भी ऋण मिलेगा। यह बड़ी अच्छी चीज है वन विकास के लिये। लेकिन हमारा अनुभव है कि वन विकास में या वन के विनाश में सबसे बड़ा कारण जो है वह यह है कि बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े व्यवसायी पता

नहीं किस-किस करिबम के जरिये मिट्टी के मोन वन जैसी सम्पत्ति की ठेकेदारी ले रहे हैं। उन वन को जिस से सरकार को 20 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती थी इन लोगों ने 20 लाख रुपये में ले ली। जब सरकार की सम्पत्ति, देश का सम्पत्ति को बड़े-बड़े व्यवसायी, बड़े-बड़े व्यापारी इस तरह से लूटते रहेंगे तो कैसे वन का विकास होगा। यह बड़ी अच्छी चीज की है जो आपने वन विकास के लिये कारपोरेशन बनायी और उस कारपोरेशन के लिये ऋण की व्यवस्था भी की। वन के विकास में बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बड़े-बड़े व्यापारियों की लूट हो रही है और राज्य सरकारें भी इस लूट में हाथ बंटा रही हैं। जब तक इस पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा तब तक वन विकास का काम नहीं हो सकेगा और वन विकास कारपोरेशन भी फेल हो जाएगा उस को हम ऋण भी देंगे तो पता नहीं वह कहाँ जाएगा।

तीसरी चीज यह है कि को-ऑपरेटिव बैंक को, री-फाइनंस कारपोरेशन ऋण देगा। बिहार को-ऑपरेटिव बैंक का हमारा तजुर्बा है कि वह खान-पीने का, भ्रष्टाचार का एक अनन्त हीन गढ़ हो गया है। अभी एक जांच हुई थी। करोड़ों-करोड़ रुपये का जो ऋण उनको दिया गया उसका कहीं पता नहीं। सैकड़ों आदिमियों और फर्मों को ऋण दिया गया उनका भी पता नहीं। इसलिये हमारा कहना है कि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जिस को हम ऋण दें अगर ऋण का पता न लगे तो ऋण देने वाले को पकड़ा जाये, उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह लूट नहीं हो रही है? इस तरह की संस्थाएं, इस तरह के बैंक, इस तरह की को-ऑपरेटिव सोसाइटियां जहां इस तरह की लूट हो रही है उनको यदि कभी ऋण दिया जाएगा तो जो आपका उद्देश्य ऋण देने का है वह कभी पूरा नहीं होगा।

चौथी चीज यह है कि मंत्री महोदय ने कृषि विकास की बात कही है और हमारे कई एक माननीय सदस्यों ने भी कृषि के विकास की बात कही है। अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि आसाम, उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर

प्रदेश ये जो पूरे हमारे देश के क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां आती हैं हर साल बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त रहता है। पता नहीं कितने अरबों रुपये की सम्पत्ति इस बाढ़ के कारण बरबाद हो जाती है। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम भी बढ़ाये हैं। ब्रह्मपुत्र कंट्रोल बोर्ड, गंगा कंट्रोल बोर्ड और कोसी कंट्रोल बोर्ड के नाम से कुछ बोर्ड भी स्थापित किये गये हैं। एक तरफ तो इस प्रकार के बांड बनाये गये हैं, दूसरी तरफ प्रदेशों की सरकारें कहती हैं कि इन बोर्डों के लिए हमारे पाम पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि यह जो रिफाइनंस कारपोरेशन बन रहा है, क्या उससे इन कामों के लिए भी महायत्ता मिल सकेगी? क्या कोसी के विकास के लिए, गंगा के विकास के लिए और ब्रह्मपुत्र के विकास के लिए भी इस कारपोरेशन से महायत्ता मिल सकेगी? यदि कृषि विकास इस बिल का प्रधान उद्देश्य है तो पूरे इस क्षेत्र के कृषि के विकास के लिये यह आवश्यक है कि हम इन कामों की तरफ भी ध्यान दें।

श्रीमन्, हमारे मित्र श्री रणबीर सिंह जी जब बोल रहे थे तो मैं उनको मुन रहा था। वह तो गंगा को हिमालय में ले जा कर सिचाई की व्यवस्था करना चाहते हैं और हम लोग गंगा की गोद में बैठकर तबाह और बरबाद हो गये हैं। वह कहते हैं कि किसानों में भेद मत करो, बड़े और छोटे किसान की बात मत कहो। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो किसान हिमालय पर रहता है मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो किसान गंगा की गोद में रहता है, बिहार में रहता है, वह तबाह और बरबाद हो रहा है। अभी पिछले दिनों गाजीपुर में शेरपुर गांव में छोटे किसानों को लूट लिया गया, उनकी जमीन लूट ली गई। लेकिन ये लोग कहते हैं कि छोटे और बड़े किसानों में भेद मत करो। आज हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair.]

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस विषमता को दूर किया जाय। प्रधान मंत्री ने

घोषित किया है कि सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर होनी चाहिए। लेकिन बिहार के अन्दर कई ऐसे गांव हैं जहां पर बड़े-बड़े भूपतियों ने गरीब खेतिहर मजदूरों के घरों को जला दिया। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में जो पीड़ित लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको विशेष रूप से महायत्ता देनी होगी। हमारे देश में, जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा है, हजारों रुपये कृषि के ऊपर लगाये गये हैं, लेकिन ये रुपये किसको मिले? वास्तविक स्थिति यह है कि इन रुपयों से फायदा बड़े-बड़े किसानों ने उठाया है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जहां किसानों के हित में अन्य कदम उठाये वहां इस बात का ध्यान रखे कि हमारे देश में जो पीड़ित लोग हैं, पैसे लोग हैं उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। भाई रणबीर सिंह जी ने यह अच्छी बात कही कि रूई की कीमत गिर गई है, आलू की कीमत गिर गई है। यह ठीक है कि ऐसे मामलों में सरकार को सपोर्टिंग प्राइम देनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि किसानों की किसी चीज की कीमत गिर जाती है तो किसानों को सपोर्टिंग प्राइस अवश्य दी जानी चाहिए। किसानों की वस्तुओं की कीमत अगर घटती है तो उसका असर उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हमारी सरकार पूरे समाज के प्रति जिम्मेदार है। इसलिए यह भी जरूरी है कि सरकार उचित कीमत पर किसानों से गल्ला उछाये। बड़े-बड़े किसान अगर गल्ला नहीं देगे तो फिर देश के अन्दर कठिनाइयां पैदा होंगी। यह भी ठीक है कि किसान को सपोर्टिंग प्राइम मिलना चाहिए, लेकिन साथ-साथ किसानों को उचित कीमत पर प्रोक्योरमेन्ट के लिए गल्ला भी देना चाहिए और तभी देश का काम अच्छी प्रकार चल सकता है, अन्यथा कठिनाइयां पैदा हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, I support this Bill which is aimed at expanding the activities of the Corporation. But I feel

[Shri N. H. Kumbhare]

that this institution has not helped the marginal farmers about whom we talk so much.

The other day I listened to the speech of the hon. Finance Minister with rapt attention. He also dealt with the problems of the small and marginal farmers. He said that now the time has come when something should be done to help the most neglected agricultural sector.

It is true that the marginal and small farmers are in one sense backward and there is no doubt that these farmers even today could not utilise the land to the maximum extent with a view to have optimum production. This is a reality which nobody can deny.

Let us find out how the Government have helped them. So far as the various schemes of the Government are concerned, I think the major beneficiaries have been the well-to-do farmers. As Sharmaji pointed out these well-to-do farmers have taken to modern techniques and taken advantage of the Government schemes for fertilizers, seeds and what not. The marginal farmer still carries on with his traditional method of farming. How to help them? We are speaking in terms of land reforms. My submission is that these land reforms have not in any way helped the marginal farmers. They are where they have been about fifty years back. No improvement in their mode of cultivation. They do not get any benefit whatsoever with the result that they are not in a position to use their land to the maximum extent. How could the problem be solved? Sometimes we feel that the marginal farmers come in the way of maximum utilisation of land. Therefore, the suggestion is being made in certain quarters that the time has come when we must go for joint collective farming. That, I think, is the only way out. Unless we go for radical changes so far as land reforms are concerned, I do not think we will be able to usher in socialism in the real sense. I will only refer to the

schemes which have been given by Dr. Ambedkar. As you all know, he was not only one of the makers of our Constitution, but he was also an eminent economist. He felt that the measures that had been adopted by the Government were not able to bring equality and therefore he made the following suggestion:

"The State shall acquire the subsisting rights in agricultural land held by the private individuals, whether as owners, tenants or mortgagees and pay them compensation in the form of debenture equal to the value of his or her right in the land, provided that, in reckoning the value of land, an account shall be taken of any rise therein due to emergency of any potential value for compulsory acquisition.

"The States shall determine how and when the debenture-holder shall be entitled to claim cash payment. The debenture shall be transferable and inheritable property but neither the debenture-holder nor the transferee from the original holder nor his heir shall be entitled to claim the return of the land or interest in any industrial concern acquired by the State or be entitled to deal with it in any way. The debenture-holder shall be entitled to interest on debenture at such rate as may be defined by law to be paid by the State in cash or in kind as the State may deem fit. Agricultural industry shall be organised on the following basis:

"The State shall divide the land acquired into farms for cultivation by residents of the villages as tenants/workers made up of groups of families to cultivate on the following conditions:

"The farm shall be cultivated as a collective farm. The farm shall be cultivated in accordance with rules and directions issued by Government. The tenants shall share among themselves in the manner prescribed

the produce of the farm, left after the payment of charges leviable on the farm. The land shall be let out to villagers without distinction of caste or creed and in such manner that there will be no landlord, no tenant and no landless labour. It shall be the obligation of the State to finance the cultivation of the collective farms by the supply of water, animals, implements, seeds, etc.

"The State shall be entitled to:

(a) levy the following charges on the produce of the farm:

(i) a portion for land revenue;

(ii) a portion to pay the debenture-holders; and

(iii) a portion to penalties against tenants who break the conditions of tenancy or willfully neglect to make the best use of the means of cultivation offered by the State or otherwise act prejudicially to the scheme of collective farming."

Sir, I have given here the scheme which was given by one of our very eminent economists, namely, Shri Ambedkar. I only wanted to draw the attention of the Government to only one thing. They must know, if they want any improvement, that the marginal farmer is the obstacle in putting the land to the maximum utilization and, therefore, the Government must step in and take care of the land so that it can be put to optimum use. This is the whole idea behind this scheme.

Sir, the idea behind this scheme is not only to boost up production by putting the land to maximum use but also to bring about equality, socialism and social justice. This is the only suggestion that I wanted to make. Thank you, Sir.

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : उपसभापति जी, आज की परिस्थिति में हमारे मित्त वित्त मंत्री

जी यह विधेयक लाए हैं कि किम तरह इस एग्री-कल्चरल रिफाइनमेंट कारपोरेशन डेवलपमेंट बैंक के जरिये ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को ठीक किया जाय, जमीन का विकास किया जाय। यह बहुत ही लाजिमी है उस परिस्थिति में जब प्रधान मंत्री जी ने देश के विकास के लिए 21-सूची कार्यक्रम दिया है। भारत का कैसे निर्माण हो, हमारी आर्थिक कल्पना क्या है, हम कैसे समाज का पुनर्निर्माण करें, हम कैसे गांवों का विकास करें, हम कैसे जमीन की हदबन्दी करें, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर यह 21-सूची कार्यक्रम दिया गया है जिसमें पांच मुद्दे जमीन को लेकर हैं, जो किसानों से संबंधित हैं, जो गांवों से संबंधित हैं। आज जब दुनिया के मुकाबले में हम सिर्फ 2.4 प्रतिशत भूमि रखते हैं और आबादी के लिहाज से हम 14 फीमदी हैं तो इस पृष्ठभूमि में मैं कहना चाहता हूं कि जमीन कोई रबर तो है नहीं जो लम्बी करके बाट दी जायगी। जमीन का कैसे विकास हो, जमीन कैसे भूमिहीनों को मिले, जमीन कैसे किसानों को मिले इस सबन्ध में प्रधान मंत्री ने बड़ी गहराई से सोचा है। और इसी लिये जो उन्होंने अपना कार्यक्रम देश के मामले पेश किया उसमें दूसरे नम्बर पर इसको रखा है। हम तो इसको पहले नम्बर पर ही कहेंगे कि खेती योग्य भूमि की सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों को अमल में लाया जायगा। सीमा से अधिक भूमि भूमिहीन मजदूरों में बांटी जायगी और जमीन से संबंधित कागजात दुरुस्त किये जायेंगे। तीसरा है भूमिहीन और गरीब जनता को आवास के लिये गृह निर्माण हेतु भूमि प्रदान की जायगी। चौथा है कि दास प्रथा समाप्त की जायगी और पांचवां है कि ग्रामीण जनता के ऋण माफ कर दिये जायेंगे। भूमिहीनों, छोटे किसानों के कर्ज पर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे, दूसरे शब्दों में महाजन उम वर्ग से ऋण वसूल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद छठा और सातवां है और इसी पृष्ठभूमि में मैं इस कारपोरेशन को लेता हूँ। आप देखें कि यह उसके लिये कितना एफेक्टिव हो सकता है और यदि प्रधान मंत्री के इन कार्यक्रमों की सफलता में यह सहयोग दे तो मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा कारगर कदम

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

होगा और यह समाज तथा देश को बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। छठा है खेती तथा मजदूरी पर जीवन निर्वाह करने वालों के लिये न्यूनतम बेतन की व्यवस्था की जायगी और इससे संबंधित कानूनों पर अमल किया जायगा। और मानवां है और जो बड़ा आवश्यक है कि 50 लाख हैक्टर भूमि पर मिर्चाई का प्रबन्ध किया जायगा और भूमिगत जल को उपयोग में लाने के लिये कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायगा। हम से पहले जो माननीय सदस्य इस सदन में अपनी राय रखे है इस प्रश्न पर उन सभी ने घुमा फिरा कर इन बातों में से किसी न किसी कार्यक्रम को लिया है, टच किया है। प्रश्न उठता है, उपमहापति जी, कि बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले 1969 से पहले तो गांव का किसान इस बात को नहीं समझता था कि बैंकों का काम किसानों की मदद करना भी है। बैंक का अर्थ लोग समझते थे कि वह तो बड़े बड़े व्यवसायों के लिये है या बड़े अफसरान और लोगों के लिये हैं, बैंक गांवों के लिये, किसानों के लिये नहीं हैं। किसान बहुत कम ही सरकारी किसी एजेंसी से कर्ज लेते थे और उस कर्ज में भी क्या स्थिति उसकी होती थी इसको हमारे मित्र मकसूद अली साहब आपके सामने बतला चुके हैं कि किस तरह से दलाल लोग किसानों को लूटते थे और उस के चलते किसान किस तरह से कर्ज से दबा दिया गया था कि वह सरकारी कर्ज छूने में भी डरता था। कोआपरेटिव का कर्ज उसे इतना महंगा पड़ा था कि 25, 50 रुपये में सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों की जमीन नीलाम करवा ली थी। उस समय मस्ते का जमाना था। मुश्किल से सौ, दो सौ रुपया कर्ज वह लेते थे और उस का सूद व्याज इतना हो जाता था कि किसानों को जमीन ले ली जानी थी। अब प्रश्न है कि जब हम भूमि सुधार करने जा रहे हैं तो क्या किया जाय। हमारी प्रधान मंत्री ने देश की नब्ज को पकड़ा है कि यह मूलक गांवों में बसना है। हिन्दुस्तान में करीब साढ़े पांच लाख गांव हैं और 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। जब तक खेती का विकास नहीं होगा तब तक हम उन्नति नहीं कर

पायेंगे। आज 28 साल की आजादी के बाद भी हम अनाज विदेशों से मंगाते हैं। यह एक दुख का विषय है। 6, 7 सौ करोड़ रुपया फारेन एक्सचेंज का हम इस पर खर्च करते हैं। तो बाहर के लोगों को भी इस बात पर हंसी आती होगी कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश आज इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चल रहा है और आज भी वह अनाज बाहर से मंगाना है। हमें लगता है कि हमारी प्रधान मंत्री ने इस समस्या का जड़ से निदान ढूँढने की कोशिश की है और वह यह है कि जमीन का बटवारा किया जाय। जब तक जमीन जोतने वाले को नहीं मिलेगी तब तक जमीन का पूरा उपयोग नहीं होगा। जब तक जमीन भूमिहीनों को नहीं मिलेगी, जब तक खेती से संबंधित लोगों को जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक इस मुद्दे में खेती की पैदावार में उम अनुपात से वृद्धि नहीं होगी जिस अनुपात में हम कल्पना करते हैं और यही कारण था कि जंगी अभी तक जर्वा होती थी कि बैंकों से बड़े फार्मर्स का कर्ज मिलना था और वह अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिये बड़े फार्मर्स बना कर माइनों ढंग में खेती करने थे और ट्रैक्टर से लेकर बीज और फर्टीलाइजर आदि तक सारी चीजें सरकार से लोन के रूप में ले लेते थे। यही सफेदपोश या बड़े किसान अपनी जमीन को या बड़े-बड़े बिजनेसमैन अपने पैसे को छिपाने के लिए ये फार्म खड़ा करके

1 P.M.
ऐसा करते थे और सरकार से मनचाहा कर्ज ले लेते थे। अब प्रश्न उठता है और आज जरूरत इस बात की है कि यह जो आपका एग्रिकल्चरल रिफाइनंस कारपोरेशन है इसको आप इस बात के लिये निर्देश करें, वित्त मंत्री जी निर्देश करें, कि हर प्रखंड में, देश के हर प्रखंड में इसकी शाखा खुले। अगर प्रखंड स्तर पर इसकी शाखाएं हो जाती हैं तो कम से कम साधारण जो किसान होते हैं वह प्रखंड स्तर पर आते हैं और प्रखंड में उनका डाइरेक्ट संबंध, सीधा संबंध रहता है, वहां बी०डी०ओ० भी रहता है और आपका एग्रिकल्चरल सुपरवाइजर भी रहता है और दूसरे लोग भी रहते हैं और वह प्रखंड 7 या 10 मील में

अधिक का नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि इससे किसानों का डाइरेक्ट संबंध जुड़ जाएगा और जब किसानों से संबंध जुड़ जाएगा और हम ऐसा विश्वास करें कि जिनके पास सीलिंग से अधिक जमीन है, अब वह जमीन नहीं रख सकेंगे जैसी प्रधान मंत्री की घोषणा हुई है और राज्य सरकारें जिस तरीके से मुस्तैद होकर इस पर अमल करने जा रही हैं तो क्या आपने उसमें इस बात का विचार रखा है, ध्यान रखा है कि जिन भूमि-हीनों को जमीन पहले मिलेगी, जिनको आप जमीन देंगे उनमें पहली प्राथमिकता आप उनको देंगे तो जमीन देने के बाद क्या होगा? उसके पास बैल नहीं होगा, बीज नहीं होगा, खाद की व्यवस्था नहीं रहेगी, दूसरी व्यवस्था नहीं रहेगी। इसमें क्या होगा कि वह प्रापर डेवलपमेंट की दौड़ में आगे आ नहीं सकेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर जमीन से पीछे उसको हटना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दूँ। मैं अपने गांव के भूपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला हुआ कि आधा हरिजनों को दो। 5 कट्टा के हिस्सा से मुश्किल से हरिजनों को जमीन मिली और एक साल के अन्दर उनकी जमीन फिर लिख दी। कर्जा लेकर क्या हुआ? लोग मजाक करने लगे कि क्या फायदा हुआ लड़ने का। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह बुनियादी प्रश्न है जब आप इसको हल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप इस समस्या को हल कर सकेंगे। नहीं तो आज एक से एक मगरमच्छ जमींदार गांवों में बैठे हुए हैं जो मारा हिस्सा जानते हैं। वह जानते हैं कि बाजार-पत्र को किस तरह से गोल किया जाता है, किस तरह से बदला जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो एग्रिकल्चरल रिकॉन्सेस ऑरपोरेशन डेवलपमेंट बैंक नाम आपने इसको दिया है यह बहुत अच्छा दिया है। उनकी शाखाएँ कम से कम प्रखंड स्तर पर हो जायें और इसमें यह भी ध्यान रखें कि गांवों के विकास के लिए क्या जरूरत है। मान लीजिए कोई को-ऑपरेटिव है, या कोई पंचायत है, कोई अच्छी पंचायत है, आपसे वह लेन देन करती है, कारपो-

रेशन से करती है, अगर 15 ट्यूबवैल लगने हैं या 5 ट्यूबवैल लगने से उस गांव की अधिक से अधिक जमीन की मिर्चाई हो जाती है, उत्पादन दुगुना हो जाता है, किसानों में उमंग आ जाती है, किसानों को विश्वास हो जाता है, आप स्वयं ही कर्ज देने की व्यवस्था करें। उसमें भी थोड़ा सा परमिटेंट घटा दें। इससे सामूहिकता की भावना लोगों में बढ़ेगी। पुराने धिमे पिटे नियमों में मत जाइये। उसमें यह दिक्कत होगी कि किसान परेशान हो जायेंगे। जो नये किसान होंगे, जिनको नई जमीन मिलेगी, जो नया निर्माण करना चाहेंगे, जो नया इतिहास कायम करना चाहेंगे, उनको बड़ी कठिनाई होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें यह भी प्राविजन आप रखें कि राज्य सरकारों से कहें कि इसमें यह व्यवस्था रखें कि जो भूमिहीन हैं और जिनसे भूमि प्राप्त करके कर्ज प्राप्त कर लिया है, जो घर बसाना चाहता है तो कम से कम आप उसे अगर घर बनाने के लिए भी थोड़ी मुविजा रखें, उसमें यह प्राविजन रखें तो आप इस डेवलपमेंट बैंक से छोटे से छोटे किसान को ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। मान लीजिए किसी गांव में बिजली लाने की जरूरत है, किसी गांव में बाध बनाने की जरूरत पड़ी है तो उसके संबंध में सोचना चाहिये। मैं आपको उदाहरण दूँ कि हमारे माननीय सदस्य शर्मा जी ने कोसी नदी और गंगा नदी की चर्चा की। कोसी क्षेत्र से मैं आता हूँ। एक बार वहां का सर्वे हुआ था कोसी तटबंध बनाने के लिये। वहां 300 गांव हैं जो नेपाल से लेकर मुंगेर तक में आते हैं। इसके दोनों तरफ बांध बनाने की बात आई थी। पता नहीं क्या हुआ? परन्तु इन 300 गांवों के लोगों को जिसकी आबादी लगभग 4 लाख के करीब है अपनी किस्मत पर छोड़ा हुआ है। जब भी वे लोग वहां पर मुधार की बात करते तो उनसे पूछा जाता तुम्हारा घर कहा है? जब वे कहते कि कोसी तटबंध पर तो कहते वहां पर कोई बाध नहीं बनेगा, वहां पर कोई मड़क नहीं बनेगी। जब हम लोग 100 के करीब प्रधान मंत्री जी के पास आए तो सारी बातें हम

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

लोगों ने उनको लिखकर दीं तब जाकर कुछ हुआ। माल-गुजारी भी माफ हो गई और डिस्ट्रिक्ट भी खत्म हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप देख लीजिए कि 4 लाख लोगों के विकास के लिये जो कि किसी न किसी तरह से घिरे हुए है और नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिये कारपोरेशन कोई व्यवस्था करेगा? इस विकास के युग में भी अगर उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं होती तो मैं समझता हूँ कभी नहीं हो सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी नदी के आस-पास जो खुदाई चल रही है वह कभी चार किलोमीटर पर और कभी दो किलोमीटर पर खुदाई होती है। वे कभी पूरी खुदाई नहीं करते, कहते हैं कि पैसा नहीं है। मेरा कहना है कि अगर किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिये। इससे क्या होगा कि किसानों में एक विश्वास रहेगा। उनसे आपको अधिक कोआपरेशन मिलेगा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी।

मैं चौथी बात यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आप किसानों को भी प्रतिनिधित्व दें। जब आप किसानों के लिये यह करने जा रहे हैं तो इसमें कम से कम एक क्लज रखिये कि जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स होगा उसमें किसानों का एक प्रतिनिधित्व जरूर होगा जो किसानों की समस्याओं से अवगत हो। जो किसानों के सुख-दुख को समझता हो और यह जानता हो कि किसानों को किस समय कर्ज चाहिये। मैं नहीं कहता कि सारे किसान दूध के घुले हुए हैं। आपको गलतफहमी में डालकर, आपको गलत बयानी देकर कर्ज ले लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब किसानों का रिप्रजेंटेटिव होगा तो आपको इन बातों को समझने में अधिक सुविधा होगी।

मैं आपसे जूट के संबंध में भी कहना चाहता हूँ। आप जानते होंगे कि जूट उगाने वालों के साथ कैसे-कैसे अन्याचार होते हैं। एक एकड़ जूट उगाने में कम से कम 5 सौ रुपये आज के

समय में खर्च करने पड़ते हैं और मुश्किल से 14-15 मन जूट उगा पाता है। उसको आप 20 रुपये मन खरीदते हैं। आप सोचिये वह बेचारा 500 रुपये खर्च करके परेशानी में पड़कर 14-15 मन जूट उगा पाता है और उसको आप देते हैं कुल 300 रुपये के करीब, 400 रुपये के करीब। इसलिए जूट की खेती करना किसान लोग छोड़ने लगे हैं। इससे फोरेन एक्सचेंज में भी कमी आई है। किसान जो एक नार्थ बिहार का है, आसाम का है या नार्थ बंगाल का है या थोड़े बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जो जूट पैदा करने वाले हैं इनकी क्या दुर्दशा है इसकी ओर आपने ध्यान दिया? आपने इनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा आपसे कहना है कि जो कारपोरेशन आप बना रहे हैं उसमें इस बात की व्यवस्था अवश्य रखें और साथ ही फसल के इन्श्योरेंस की भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिये। फसल के आधार पर आप किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था करें ताकि किसान आपको अच्छी से अच्छी फसल दे सकें। आप उनकी फसल को देखिये और देखने के बाद कर्ज दीजिए। इसमें यह होगा कि जो बड़े-बड़े मनी लेंडर्स हैं जो अधिक व्याज पर पैसा देते हैं उनका पैसा खटाई में पड़ जाएगा। जो मोनोपोलिस्ट हैं उनकी मोनोपोली टूट जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लाखों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुई है। चाहे खेती की जमीन हो या दूसरी जमीन हो या बंजर जमीन हो, अगर हमारा लक्ष्य पैदावार बढ़ाना है, देश को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर करना है तो यह बहुत आवश्यक है कि कृषि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। आज हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 20 वर्षों के अन्दर करीब 20 करोड़ की हमारी आबादी बढ़ गई है, लेकिन उसी अनुपात में हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ा है। इसलिए आज आवश्यकता हमें बात की है कि किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जो अग्रप्रोडक्टिव लैण्ड है उसका मंत्री महोदय सर्वे कराये। हमारे देश के अन्दर बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार

की लैण्ड है जिसको किसान पैसे की कमी के कारण या अन्य साधनों के कारण उपलब्ध न होने के कारण उपयोग में नहीं ला पाता है। अगर इस जमीन को उपयोग में लाया जाएगा तो हमारे देश में अन्न की समस्या बहुत हद तक हल की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए आपको भूमि सेना की जरूरत पड़ेगी। किसानों के जो बच्चे हैं, अगर उनको खेती के काम में ट्रेड किया जाय और उनको खेती करने के नये-नये आधुनिक तरीके बताये जायें तो हमारे देश में खेती की जो इस समय दुर्दशा है उसको समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से आपने बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० के नाम से कुछ संगठन बनाये हैं, आज जरूरत इस बात की है, इसी प्रकार से भूमि सेना भी बनाई जाय ताकि जो अग्रोइन्विटव लैण्ड है उसका सही ढंग से उपयोग हो सके और उस जमीन से वैज्ञानिक ढंग से खेती करके अन्न का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

सातवीं बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के अनाज के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करने की आज सबसे अधिक जरूरत है। किसान जो चीजें पैदा करता है उसको बहुत समय तक अपने पास नहीं रख सकता है। अगर आपने किसान को बैंकों से कर्ज दिया और अन्य सुविधाएं दी, लेकिन अगर उसको मार्केटिंग की सुविधा नहीं मिलेगी तो उनके लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि किसानों को मार्केटिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो, जहां पर उनके माल की उचित कीमत मिल सके।

उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश के गांवों में सड़कों का अभाव है। हरियाणा और पंजाब में थोड़ी स्थिति अच्छी है। मैं स्वयं वहां पर घूमा हूँ और मैंने वहां पर देखा है कि वहां पर कुछ स्थिति अच्छी है। दूसरी स्टेटों के सामने भी इनका उदाहरण पेश होना चाहिए। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्दर और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के अन्दर स्थिति बड़ी खराब है। सरकार को सड़कों

की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश का जो यह क्षेत्र है यह इन्डो गैन्जैटिक एरिया के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ा फर्टाइल भी है। लेकिन उस इलाके के अन्दर किसान भूखों मरता है आज इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब तक किसानों को सुविधाओं से सम्बन्ध नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है। हमारी प्रधान मंत्री ने देश के नाम पर जो 21-मंजरी कार्यक्रम हमारे सामने पेश किया है, उस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6-7 मुद्दे ऐसे हैं जो किसानों और खेतीहर मजदूरों से संबंध रखते हैं। उनकी मदद के लिए जो बिल आप सदन में पास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें किसानों में एक नई आशा आयेगी और एक नया चिन्तन शुरू होगा तथा आपका एक नए ढंग से सहयोग मिलेगा।

इस समय मन्त्रालय सिर्फ यह है कि इस चीज को आप कितनी इफेक्टिवनी लागू करने हैं ताकि यह चीज किसानों तक पहुंच सके और किसानों के बीच उसकी शाखा खोली जा सके ताकि किसान उससे सहायता प्राप्त कर सके और उस पर निर्भर रह सके। मैं आशा करता हूँ कि जिस उत्पाद और उमंग से यह बिल आप सदन में लाये हैं और जिसका सदन में इतना ज्यादा स्वागत हुआ है, उसके लिए उसी उत्पाद और उमंग के साथ उसके सारे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेंगे ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों तक पहुंच सके। इस मुल्क के किसान इस बात को समझ सके कि इन्दिरा गान्धी जी ने जो खेती के लिए मदद देने की बात कही थी, जो मजदूरी बढ़ाने की बात कही थी जो उत्पादन बढ़ाने की बात कही थी, उसके साथ ही साथ उनके लिए इन साधनों को भी उपलब्ध करा दिया है ताकि देश में विकास की प्रक्रिया तेज हो सके और सरकार तथा जनता इस कार्य को लगन के साथ करके देश का कल्याण कर सके। अगर हम सब लोगो ने लगन के साथ और सहयोग के साथ कार्य किया तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

मिलसिले में सभी पिछड़े इलाकों का, जो अभी तक अविकसित पड़े हुए हैं, जहाँ अभी तक सुविधा नहीं पहुँच सकी है, उन सब इलाकों का ध्यान रख कर इस कार्य को राष्ट्रव्यापी स्तर पर फैलायेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.45 p.m. today.

The House then adjourned for lunch at sixteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fortyeight minutes past two of the clock. Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1975—Contd.

श्री देवराव पाटिल (महाराष्ट्र) उपसभापति जी, एग्रीकल्चरल रिफाइनंस कारपोरेशन प्रमुख रिफाइनंसिंग आर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना दस साल पूर्व की गई थी। जिन राज्यों में कोऑपरेटिव बैंकों का काम बहुत मन्द था या जिन राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक बिलकुल नहीं थे, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी। आज तक का काम देखा जाए तो काफी इसने काम किया है :

Today the level of sanctions has gone up to Rs. 600 crores and the level of disbursements has gone up to about Rs. 400 crores.

इसमें वर्ल्ड बैंक भी लोन दे सकती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आफ इंडिया का पूरा कंट्रोल है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, शेड्यूल कामर्शियल बैंक और लाइफ इश्योरेंस कारपोरेशन आदि वे एजेंसिया हैं जिनकी मार्फत यह लोन देता रहता है। यह लोन उन लोगों को भी देते हैं जो शेयर-होल्डर्स हैं और स्टेट बैंक, सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक और कामर्शियल बैंक यह उनकी इलिजिबिल एजेंसीज हैं, उनके पास जो फंड्स हैं, उनका जो शेयर कैपिटल है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाजार से जो कर्जा लेती है वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लोन के रूप में

यह ले लेते हैं। इस तरह से आज अगर भारत में देखा जाए तो एग्रीकल्चरल रिफाइनंस कारपोरेशन स्टेट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कई ऐसी छोटी बड़ी एजेंसीज हैं जो एग्रीकल्चर के लिए कर्जा देती हैं। तो एक सवाल यह आया था कि इस देश में उद्योग के लिए कर्जा देने वाली कई एजेंसीज थीं उनके लिए एक प्रपोजल आया था कि उन सबको रिजर्व बैंक से अलग करके कोई एक एजेंसी बना दी जाए और उसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहे अभी तक हमने यहाँ एग्रीकल्चर को और उद्योग को एक नहीं माना। एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री एज सच नहीं माना और उसकी एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक का है। लेकिन इंडस्ट्री को लोन देने और एग्रीकल्चर के लिए लोन देने में फर्क होना चाहिए; क्योंकि एग्रीकल्चर के लोन में कई दूसरी बातें आ जाती हैं। इसलिए मैं रेफरेंस के ताने माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक से इस एग्रीकल्चर रिफाइनंस कारपोरेशन को अलग किया जाए और पूरा कंट्रोल उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहे। इसमें हमने पैसा देने के बारे में काफी प्रगति की है, लेकिन पैसा किसको दिया गया इसकी एक एजेंसियन देखी जाय, मैं किसी दूसरे व्यक्ति का वक्तव्य नहीं करना चाहता।

Dr. Hazare, Chairman of Agricultural Refinance Corporation says :

"The Corporation never had any difficulty of money, but it had failed in meaningfully spending the money for the development of agriculture."

तो इस तरह से उनकी पिछली बकिंग में जो दोष थे वह इसलिये थे कि उनकी पालिसी सही नहीं थी। मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, नागालैण्ड, उड़ीसा कई ऐसे राज्यों में जो रिपोर्ट से मालूम होगा कि जो काम किया गया वह ठीक ढंग से नहीं हुआ और जो पैसा दिया गया था उसके बारे में 90वीं रिपोर्ट जो नेशनल सेम्पुल सर्वे आफ इंडिया की है उसमें बताया गया है :

"Ninety per cent of investment in agriculture by Agricultural Refinance Corporation was given to those who won more than 5 acres of land."